



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 17, 2018/माघ 28, 1939

No. 88] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 17, 2018/MAGHA 28, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(वन संरक्षण प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2018

**सा.का.नि. 172(अ).**—कतिपय नियमों, जिन्हें केंद्रीय सरकार प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 30 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, का निम्नलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार जनसाधारण की जानकारी के लिए, जिनके उसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना है, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा; और

कोई भी व्यक्ति, जो प्रारूप नियमों में अंतर्विष्ट प्रस्तावों पर कोई आक्षेप या सुझाव देने का इच्छुक है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट की गई अवधि के भीतर, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए कोई आक्षेप या सुझाव, सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003 को या वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में भेज सकता है। ऐसी संसूचना मंत्रालय के ई-मेल पते : [igfc.mef@nic.in](mailto:igfc.mef@nic.in) पर भी भेजी जा सकती है।

प्रारूप नियम

नई दिल्ली- फरवरी, 2018

## 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.-

- (1) इन नियमों का नाम प्रतिपूरक वनीकरण निधि नियम, 2018 है।
- (2) इनका विस्तार जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में है।
- (3) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन के तारीख से लागू होंगे।

## 2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो.-

- (क) "अधिनियम" से प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 अभिप्रेत है
- (ख) "वार्षिक प्रचालन योजना" से राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण, जैसी भी मामला हो, द्वारा अनुमोदित भौतिक क्रियाकलाप या वित्तीय उपबंधों की वह वार्षिक योजना अभिप्रेत है, जिसमें महत्वपूर्ण उपलब्धियों और सफलता की शर्तों का वर्णन किया जाता है और जिसमें यह विस्तार से बताया जाता है कि प्रदत्त बजट अवधि में, वित्तीय वर्ष के दौरान, किसी कार्यनीतिक वार्षिक योजना को किस प्रकार प्रचालित किया जाएगा और जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, वर्ष के दौरान राज्य निधि से निष्पादित किए जाने वाले प्रत्येक क्रियाकलाप का संक्षिप्त विवरण, अनुमानित लागत, लागत अनुमान का आधार, क्रियान्वयन के लिए अभिज्ञात अभिकरण तथा समय सारणी शामिल है;
- (ग) "सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनरुज्जीवन" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें वनों का ऐसे वृक्षों के द्वारा पुनर्भरण किया जाता है, जो नीचे गिरने वाले बीजों से विकसित होते हैं और स्वस्थाने अंकुरित होते हैं तथा जहां अपेक्षित हो इस प्रक्रिया में तथा पौधों के रोपण में सहायता उपलब्ध करायी जाती है;
- (घ) "कृत्रिम पुनरुज्जीवन" से पौधों के रोपण द्वारा या सीधे बीजाई करके नये वन की स्थापना हेतु तंत्र अभिप्रेत है;
- (ङ) "वन विभाग" से राज्य सरकार का वह विभाग अभिप्रेत है जो वनों के संरक्षण तथा प्रबंधन और वन्य जीवों से संबंधित मामलों से निपटता है;
- (च) "प्रतिपूरक उद्ग्रहण" से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन प्रदत्त अनुमोदन में यथा विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय निधि और राज्यीय निधि में, भारतीय रुपयों में किए जाने वाले आज्ञापक निक्षेप और वन भूमि के वन-इतर प्रयोजनों के लिए अपवर्तन हेतु विभिन्न न्यायालय आदेशों के अनुपालन में किए जाने वाले सभी निक्षेप, जिनमें प्रतिपूरक वनीकरण और दांडिक प्रतिपूरक वनीकरण के प्रयोजनार्थ निक्षेप, अपवर्तित वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य, वन्यजीव प्रबंधन योजना की लागत, जलागम क्षेत्र उपचार योजना की लागत और अन्य वैसी ही लागतें शामिल हैं;
- (छ) "प्रतिबद्धता सहित क्रियाकलापों" से ऐसे क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं, जिन्हें राष्ट्रीय निधि तथा राज्यीय निधि से निष्पादित किया जाना है और जिन्हें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के अंतर्गत संबंधित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है और जिन्हें उक्त अनुमोदन में संदर्भित किये गए अनुसार क्रियान्वित किया जाना है, यथा प्रतिपूरक वनीकरण, जलागम क्षेत्र उपचार योजना, वन्यजीव प्रबंधन योजना इत्यादि।
- (ज) "समुदाय वन प्रबंधन योजना" से भौतिक क्रियाकलापों और भूमि एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण रखने वाले ग्रामीण समुदाय द्वारा अनुमोदित वित्तीय प्रावधानों के लिए वार्षिक योजना अभिप्रेत है और इसमें महत्वपूर्ण उपलब्धियों, सफलता की शर्तों का उल्लेख है और इसमें बताया जाता है कि प्रदत्त बजटीय अवधि में वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यनीतिक योजना को किस प्रकार प्रचालित किया जाएगा और जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संक्षिप्त विवरण, अनुमानित लागत, लागत अनुमान का आधार, निष्पादन के लिए अभिज्ञात एजेंसी और वर्ष के दौरान राज्यीय निधि से निष्पादित किए जाने वाले प्रत्येक क्रियाकलाप की समय सारणी का उल्लेख है;
- (झ) "प्रभागीय वन अधिकारी" से अभिप्राय अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वन प्रभाग का प्रबंधन करने के लिए राज्य की स्थापना यूनिट के कार्यात्मक प्रशासनिक प्रधान से है;
- (ञ) "प्रारंभिक क्रियाकलापों" से अभिप्राय है वन प्रबंधन में समुदाय की अधिक से अधिक प्रतिभागिता के लिए समुदायों को लामबंद करने की प्रक्रिया के भाग के रूप में अभिनिर्धारित और निष्पादित किये जाने वाले कार्यों का सेट;
- (ट) "वित्तीय वर्ष" से अभिप्राय एक कलेंडर वर्ष में 1 अप्रैल से आरंभ होकर आगामी कलेंडर वर्ष की 31 मार्च तक की अवधि से है।
- (ठ) "अग्रपंक्ति स्टाफ" से अभिप्राय जनता के सीधे संपर्क में रहने वाले वन रेंज के स्तर तक के राज्यीय वन विभाग कर्मचारियों से है।
- (ड) "ग्राम सभा" का वही अभिप्राय है जैसाकि संविधान की धारा 243 के खंड (ख) में उल्लिखित है।

- (ढ) **"अनुसचिवीय स्टाफ"** से अभिप्राय अधीनस्थ सेवा के उस सरकारी कर्मचारी से है, जिसकी सेवाएं पूर्णतया लिपिकीय हों, और कर्मचारियों के किसी अन्य वर्ग से है जिसे सरकार के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा विशेष रूप से परिभाषित किया गया हो।
- (ण) **"पौधशालाएं एवं अन्य पौध रोपण स्टॉक उत्पादन सुविधाएं"** से आधुनिक तथा अत्याधुनिक पौधशालाएं, बीज उत्पादन क्षेत्र, पौधरोपण के लिए बीज फलोद्यान, वनस्पति संवर्धन उद्यान तथा बागान के लिए गुणवत्ता युक्त पौध रोपण सामग्री तथा पौध रोपण के प्रयोजनार्थ ऐसी अन्य पौध रोपण स्टॉक उत्पादन सुविधाएं अभिप्रेत हैं;
- (त) **"अनुमत्य क्रियाकलापों"** से वे क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं, जिन्हें राष्ट्रीय निधि और राज्य निधि से निष्पादित किया जा सकता है;
- (थ) **"प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों"** से वे क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं, जिन्हें राष्ट्रीय निधि तथा राज्य निधि से निष्पादित नहीं किया जा सकता है।
- (द) **"रेंज अधिकारी"** से राज्य में स्थापना इकाई का वह कार्यकारी प्रशासनिक प्रभारी अभिप्रेत है, जो अपनी अधिकारिता के अधीन वन क्षेत्र का प्रबंधन करता है।
- (ध) **"बचाव केन्द्र"** से चिड़ियाघर नियम, 2009 को मान्यता में यथा परिभाषित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट पशुओं की दीर्घावधिक देखभाल के लिए स्थापना अभिप्रेत है;
- (न) **"धारा"** से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (प) **"स्थल विशिष्ट कार्यकलाप"** से वे कार्यकलाप अभिप्रेत हैं जिनका अनुमोदन वन (संरक्षण) अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत संबंधित प्राधिकारी द्वारा किया गया हो, जिनका कार्यान्वयन उक्त अनुमोदन में संदर्भित विनिर्दिष्ट स्थल पर किया जाना हो जैसे प्रतिपूरक वनीकरण, आवाह क्षेत्र शोधन योजना, वन्यजीव प्रबंधन योजना इत्यादि;
- (फ) **"वन-वर्धन कार्यकलाप"** से विविध आवश्यकताओं तथा मूल्यों की पूर्ति के लिए स्थापना, विकास, संघटन, स्वास्थ्य तथा वनों की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के कार्यकलाप तथा पद्धति अभिप्रेत हैं;
- (ब) **"मृदा और आर्द्रता संरक्षण कार्य"** से मृदा तथा आर्द्रता के स्वस्थाने संरक्षण के लिए किए जाने वाले वास्तविक कार्य अभिप्रेत हैं;
- (भ) **"तृतीय पक्ष निगरानी"** से उन पक्षकारों द्वारा राष्ट्रीय निधि तथा राज्य निधि से निष्पादित कार्यों की निगरानी तथा मूल्यांकन अभिप्रेत हैं, जो परियोजना की प्रत्यक्ष लाभार्थी श्रृंखला और प्रबंधन संरचना से बाहर के हों, जिनका केन्द्र सरकार द्वारा यह निर्धारण करने के लिए कि अपेक्षित सामाजिक, पर्यावरणीय या अन्य प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं और अनपेक्षित प्रभावों से बचा जा रहा है, बेस लाइन के अतिरिक्त यथा निर्धारित मूल्यांकन के पैरामीटरों पर हितों का टकराव न हो अभिप्रेत है;
- (म) **"वन संरक्षण समिति या ग्राम वन समिति"** से राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन के लिए गठित समिति अभिप्रेत है;
- (य) **"कार्यकारी योजना"** से भारत में वनों तथा जैव-विविधता के वहनीय प्रबंधन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बनाई गई "राष्ट्रीय कार्यकारी योजना संहिता" के अन्तर्गत तैयार की गई वन प्रबंधन योजना अभिप्रेत है;
- (कक) **"चिड़ियाघर और वन्यजीव सफारी"** से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (1972 का 53) के अन्तर्गत बनाए गए चिड़ियाघर नियम, 2009 को मान्यता में यथा संदर्भित स्थापना अभिप्रेत है;
- (कख) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा पदों जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (1980 का 69) और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) में परिभाषित किया गया है, का अर्थ क्रमशः इन अधिनियमों में उनके अर्थ के समान ही रहेंगे।

3. **राष्ट्रीय निधि का प्रबंधन** – राष्ट्रीय निधि का प्रबंधन समय-समय पर यथा प्रयोज्य सरकारी लेखाकरण नियम 1990 और सामान्य वित्त नियम, 2017 के उपबंधों और धारा 7 के अन्तर्गत तैयार की गई लेखाकरण की प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
4. **राज्य निधि का प्रबंधन** - राज्य निधि का प्रबंधन राज्य वित्तीय नियमों के उपबंधों या राज्य में समय-समय पर प्रयोज्य ऐसे नियमों और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अधिसूचित लेखाकरण की प्रक्रिया और राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
5. **निवल वर्तमान मूल्य और शास्ति निवल वर्तमान मूल्य के उपयोग की रीति** –
  - (1) राज्य निधि में जमा की गई निवल वर्तमान मूल्य और शास्ति निवल वर्तमान मूल्य हेतु प्राप्त धनराशियों का उपयोग उपनियम (2) में विहित रीति से किया जाएगा।
  - (2) एक वित्त वर्ष में, निवल वर्तमान मूल्य की अस्सी प्रतिशत धनराशि राज्य में वन तथा वन्यजीव प्रबंधन के लिए निम्नलिखित अनुमेय कार्यकलापों के लिए उपयोग में लाई जाएगी, अर्थात् :
    - (क) सहायता प्रदत्त प्राकृतिक पुनरुज्जीवन;
    - (ख) कृत्रिम पुनरुज्जीवन (रोपण द्वारा);
    - (ग) वनों में वन-वर्धन संबंधी कार्यकलाप;
    - (घ) रोपणों और वनों का संरक्षण;
    - (ङ.) वनों में नाशक जीव और रोगों का नियंत्रण;
    - (च) दावानल निवारण और नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप;
    - (छ) वनों में मृदा और आर्द्रता संरक्षण संबंधी कार्य;
    - (ज) अनुमोदित वन्यजीव प्रबंधन योजना/कार्यकारी योजना में यथा विहित वन्यजीव पर्यावास का सुधार;
    - (झ) संरक्षित क्षेत्रों से गांवों को अन्यत्र बसाया जाना;
    - (ञ) वन्यजीव गलियारों में आने वाली वनेतर भूमि पर रोपण तथा वनावरण का पुनरुज्जीवन;
    - (ट) पशु बचाव केन्द्र की स्थापना, संचालन और अनुरक्षण और वन्य पशुओं के लिए पशु पालन उपचार सुविधाएं;
    - (ठ) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट काष्ठ और अन्य वन उत्पादों की बचत करने वाले यंत्रों की आपूर्ति।
  - (3) एक वित्त वर्ष में निवल वर्तमान मूल्य की बीस प्रतिशत धनराशि का उपयोग वन और वनेतर क्षेत्रों में निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा वरीयताकृत वन और वन्यजीव संबंधी अवसंरचना को सुदृढ़ करने, इन धनराशियों के उपयोग में शामिल राज्य वन विभागों और अन्य संबंधित एजेंसियों और संगठनों के कर्मिकों के क्षमता निर्माण के लिए किया जाएगा और विचाराधीन वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक प्रचालन योजना में शामिल किया जाएगा।
  - (4) उप नियम (3) के प्रयोजन के लिए किए जाने वाले अनुमेय कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात् :
    - (क) गुणवत्ता वाली रोपण सामग्रियों के लिए नवीनतम सुविधाओं सहित आधुनिक नर्सरियों की स्थापना, उन्नयन और अनुरक्षण और अन्य रोपण स्टॉक उत्पादन सुविधाएं;
    - (ख) वन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, सर्वेक्षण, मानचित्रण और दावानल नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरण या यंत्रों की खरीद और अनुरक्षण;
    - (ग) वन क्षेत्रों में निरीक्षण मार्गों, वन मार्गों, अग्नि रेखाओं, वॉच टावरों, चैक पोस्टों, टिम्बर डिपो का निर्माण, उन्नयन और अनुरक्षण;
    - (घ) वन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए रेंज अधिकारियों के स्तर तक के संबंधित स्टाफ के लिए वनों में आवासीय तथा कार्यालय भवनों का निर्माण;
    - (ङ.) राज्य निधि से किए जाने वाले वन और वन्यजीव के संरक्षण के कार्यों के लिए राज्य वन विभाग के नियमित स्टाफ की सहायता करने के लिए स्थानीय लोगों या श्रमिकों को लगाया जाना;
    - (च) प्रतिपूरक वनीकरण कार्यों, मृदा और आर्द्रता संरक्षण, आवाह क्षेत्र शोधन और राज्य निधि से निष्पादित की जाने वाली वार्षिक योजनाओं को तैयार करने के लिए वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण और मानचित्रण;

- (छ) राज्य निधि से किए जाने वाले कार्यों की तृतीय पक्ष निगरानी सहित कार्यों की समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन;
- (ज) राज्य निधि से किए जाने वाले वानिकी और सम्मिलित कार्यकलापों के लिए जागरूकता;
- (झ) राज्य निधि से किए जाने वाले कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए वन समीपवर्ती गांवों में किए जाने वाले प्रारम्भिक कार्यकलाप;
- (ञ) राज्य सरकार द्वारा संवर्धित सरकारी भूमि पर वनों के बाहर वृक्षों को बढ़ावा दिए जाने के लिए रोपण स्टॉक का वितरण।

परन्तु यह कि यदि उपनियम (2) और (4) में संदर्भित कार्यकलाप वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में वन भूमि पर किए जाने हैं, तो उक्त कार्यकलाप राष्ट्रीय कार्यकारी योजना संहिता के अन्तर्गत तैयार की गई और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्यकारी योजना के अनुसार किए जाएंगे:

और परन्तु यह कि राज्य वन विभाग के नियंत्रणाधीन और स्थानीय लोगों की भागीदारी से कार्यकारी योजना के अनुसार प्रबंधित वन भूमि पर उक्त कार्यकलाप ग्राम सभा या वन संरक्षण समिति या ग्राम वन समिति, जो भी मामला हो, के परामर्श से किए जाएंगे और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबंधों और इसके अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशों, जहां कहीं प्रयोज्य हो, के अनुरूप होंगे:

परन्तु यह भी कि यदि किसी मामले में उक्त कार्यकलाप उन क्षेत्रों में किए जाते हैं, जो अनुमोदित कार्य योजना द्वारा शामिल नहीं किए जाते हैं तब उन्हें मामले के अनुसार, संबंधित ग्राम सभा अथवा वन संरक्षण समिति अथवा ग्राम वन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामर्श से किया जाएगा और वे अनुसूचित जातियों और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों और उसके तहत जारी किए गए दिशा-निर्देशों के तहत जहां भी लागू हो, के अनुरूप होंगे।

- (5) नियम 5 के अंतर्गत कार्यकलापों के लिए वार्षिक प्रचालन योजना को तैयार करते समय, उन गांवों जो वन भूमि के विपथन के कारण प्रभावित हुए हैं, में अभिज्ञात कार्यकलापों को करने पर प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
- (6) उप नियम (1) में उल्लिखित धन राशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाएगा, नामशः
  - (क) राज्य निधि से विभिन्न वन प्रभागों में कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने के लिए राज्य वन विभाग के नियमित कर्मचारियों को वेतन, यात्रा भत्तों, चिकित्सीय व्यय आदि का भुगतान;
  - (ख) विदेशी दौरे करना;
  - (ग) अधिकरणों अथवा न्यायलयों में दर्ज किए गए मामलों, जो राज्य प्राधिकरण के प्रबंधन के संबंधित नहीं है, का प्रतिवाद करने के लिए विधिक सेवाओं के लिए भुगतान;
  - (घ) राज्य निधि से विभिन्न वन प्रभागों में कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने के लिए राज्य वन विभाग के लिए भारी वाहनों और मशीनों और अधिकारियों के लिए वाहनों अथवा स्टॉफ कार की खरीद;
  - (ङ.) राज्य निधि से किए गए विभिन्न वन प्रभागों में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य वन विभाग के वन रेंज, अधिकारियों से बड़े अधिकारियों के लिए आवासीय और कार्यालयी भवनों का निर्माण;
  - (च) वनीकरण प्रयोजनार्थ भूमि को लीज़ पर देने, किराए पर देने और उसकी खरीद करने;
  - (छ) विभिन्न वन प्रभागों में राज्य निधि से किए गए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य वन विभाग के आवासों और कार्यालयों के लिए एयर कंडीशनरों और जेनेरेटर्स सेटों सहित फर्नीचर, कार्यालय उपकरण, फिक्सचर की खरीद;
  - (ज) कार्य योजना निर्धारण के तहत राजस्व सृजन के लिए वृक्षों की वाणिज्यिक कटाई द्वारा वन में सृजित खाली स्थानों में कार्य योजना के अनुसार अनिवार्य वनीकरण;
  - (झ) ऐसी स्कीमों के प्रतिपूरक कार्यों अथवा बकाया कार्यों को पूरा करने के लिए स्कीमों के आंशिक रूप से वित्त पोषण के प्रयोजनार्थ सरकार की अन्य स्कीमों के तहत किए गए वन और वन्यजीव संरक्षण और अन्य कार्यकलापों को करने के लिए;
  - (ञ) चिड़ियाघर और वन्यजीव सफारी की स्थापना, विस्तारण और उन्नयन।

**6. राज्य निधि में जमा राशि पर उपार्जित ब्याज का उपयोग-** राज्य निधि में निधियों पर प्रोदभूत ब्याज के लिए प्राप्त धनराशि को निम्नलिखित रीति से उपयोग में लाया जाएगा।

(क) राज्य निधि में उपलब्ध धनराशि पर उपार्जित साठ प्रतिशत ब्याज, वित्त वर्ष में वन और वन्यजीव के संरक्षण और विकास के लिए व्यय किया जाएगा और निम्नलिखित के लिए उपयोग में लाया जाएगा:

- (i) बढ़ी हुई मजदूरी दरों पर क्षतिपूर्ति वनीकरण और दांडिक प्रतिपूर्ति वनीकरण की संवृद्धि लागत की संपूर्ति करना;
- (ii) बढ़ी हुई मजदूरी दरों पर आवाह क्षेत्र उपचार योजना की संवृद्धि लागत की संपूर्ति करना;
- (iii) बढ़ी हुई मजदूरी दरों पर वन्यजीव प्रबंधन योजना की संवृद्धि लागत की संपूर्ति करना;
- (iv) राज्य निधि से किए गए कार्यों का समवर्ती अनुवीक्षण और मूल्यांकन;
- (v) राज्य निधि से किए गए कार्यों और स्कीमों का प्रचार;
- (vi) राज्य प्राधिकरण की संचालन समिति के पूर्व अनुमोदन से कोई अन्य कार्यकलाप;

(ख) राज्य निधि में उपलब्ध धनराशि पर उपार्जित चालीस प्रतिशत ब्याज को राज्य प्राधिकरण की संचालन समिति के अनुमोदन से उक्त प्राधिकरण के गैर-अनावर्ती और आवर्ती व्यय के लिए खर्च किया जाएगा।

**7. राष्ट्रीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति -** राष्ट्रीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पांच वर्ष तक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

**8. अधिकारियों की नियुक्ति -** धारा 9 की उप-धारा (4) में उल्लिखित अधिकारियों और उस-धारा की उप-धारा (5) में यथा उल्लिखित स्तरों के अधिकारियों को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रदेश से नियुक्त किया जाएगा।

**9. अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति -** धारा 9 की उप-धारा (5) और धारा 15 की उप-धारा (1) के खंड (iv) में उल्लिखित अधिकारियों और कर्मचारियों को संविदा आधार पर अथवा केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रदेश से प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

**10. अधिकारियों का वेतन और भत्ते -** धारा 8 में उल्लिखित अधिकारी ऐसा वेतन और भत्ते पाने के हकदार होंगे जो केंद्रीय सरकार के समूह 'क' के समकक्ष अधिकारियों को दिए जाते हैं।

**11. अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन और भत्ते -** नियम 9 में उल्लिखित अधिकारियों और कर्मचारियों जिन्हें प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया गया है, वे ऐसा वेतन और भत्ते पाने के हकदार होंगे जो मामले के अनुसार केंद्रीय सरकार के समूह 'ख' अथवा 'ग' के समकक्ष अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वीकार्य होते हैं;

**12. संविदा पर नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ते:-** नियम 9 में संदर्भित तथा संविदा आधार पर नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे जैसा उनके संविदा में वर्णित हैं।

**13. गैर-सरकारी सदस्यों को सिटिंग फीस एवं भत्ते-** (1) शासी निकाय राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति तथा निगरानी समूह के गैर-सरकारी सदस्यों तथा राज्य प्राधिकरण के शासी निकाय, संचालन समिति और कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को ऐसी बैठकों में भाग लेने के लिए तथा किसी अन्य कार्य, जो उन्हें दिया गया है या जैसा कि उनके नियुक्ति आदेश में वर्णित किया गया है, के लिए उन्हें सिटिंग फीस और भत्तों का भुगतान किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के गैर-सरकारी सदस्यों को सिटिंग फीस तथा भत्तों का भुगतान नियम 6 के खंड (ख) में वर्णित ब्याज से किया जाएगा।

**14. राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों का चयन:-** केंद्रीय सरकार का कोई भी मंत्रालय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार का प्रशासन राष्ट्रीय प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों के नामों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को अग्रेषित करेगा।

(2) उप नियम (1) में वर्णित व्यक्ति, भारत का नागरिक होगा तथा जिसके पास मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री हो या किसी सरकारी या गैर-सरकारी (ख्याति प्राप्त) संगठन, अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित क्षेत्र में 10 वर्षों का कार्य का अनुभव होगा।

बशर्ते कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नामित सदस्य को राष्ट्रीय प्राधिकरण की सिफारिशों पर केंद्रीय सरकार द्वारा शैक्षिक अर्हता तथा अनुभव के लिए छूट दी जाए।

- (3) राज्य सरकार का कोई भी विभाग या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का जिला प्रशासन गैर-सरकारी सदस्यों के नामों को राज्य सरकार के वन विभाग के साथ काम करने वाले राज्य प्राधिकरण को भेजेगा।
- (4) उप नियम (3) में वर्णित व्यक्ति भारत का नागरिक होगा तथा जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री हो या किसी ख्याति प्राप्त सरकारी या गैर-सरकारी संगठन, अनुसंधान, संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित क्षेत्र में 10 वर्षों का कार्य अनुभव हो

बशर्ते कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नामित सदस्य को राष्ट्रीय प्राधिकरण की सिफारिशों पर केंद्रीय सरकार द्वारा शैक्षिक अर्हता तथा अनुभव के लिए छूट दी जाए।

- (5) गैर-सरकारी का सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे।

**15. चयन समिति:-** (1) राष्ट्रीय प्राधिकरण में गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थियों के पैनल के लिए चयन समिति निम्न प्रकार होगी, नामतः:

- |        |  |             |
|--------|--|-------------|
| (i).   | सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार   | -अध्यक्ष    |
| (ii).  | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव द्वारा केंद्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय से नामित सचिव | -सदस्य      |
| (iii). | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित राज्य सरकार से एक मुख्य सचिव           | -सदस्य      |
| (iv).  | वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार                        | -सदस्य      |
| (v).   | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अपर वन महानिदेशक (वन संरक्षण)                    | -सदस्य      |
| (vi).  | अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार                         | -सदस्य      |
| (vii). | राष्ट्रीय प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी   | -सदस्य सचिव |

(2) राज्य प्राधिकरण के गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थियों के पैनल के लिए चयन समिति निम्न प्रकार होगी, नामतः:

- |        |  |             |
|--------|--|-------------|
| (i).   | राज्य का मुख्य सचिव  | अध्यक्ष     |
| (ii).  | राज्य वन विभाग का अपर मुख्य सचिव या प्रभारी प्रधान सचिव                | -सदस्य      |
| (iii). | राज्य सरकार द्वारा नामित एक अपर सचिव या प्रधान सचिव या सचिव            | -सदस्य      |
| (iv).  | प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल का प्रधान सदस्य)                        | -सदस्य      |
| (v).   | मुख्य वन्यजीव वार्डन   | -सदस्य      |
| (vi).  | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय का प्रधान | -सदस्य      |
| (vii). | राज्य प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी                             | -सदस्य सचिव |

**16. राष्ट्रीय प्राधिकरण का शासी निकाय, कार्यकारी समिति तथा निगरानी ग्रुप की बैठक:-** (1) राष्ट्रीय प्राधिकरण की शासी इकाई सदस्य सचिव के परामर्श से इसके अध्यक्ष द्वारा नियत की गई तिथि और समय पर छः महीनों में सदस्य सचिव द्वारा तैयार की गई कार्यसूची में उल्लिखित मुद्दों पर विचार करने के लिए कम से कम एक बार बैठक करेगी।

- (2) सदस्य सचिव द्वारा तैयार की गई कार्यसूची में उल्लिखित मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार ऐसी तिथि को और ऐसे स्थान पर आयोजित होगी, जो समिति के अध्यक्ष द्वारा कार्यकारी समिति के सदस्य सचिव के साथ परामर्श करके निर्धारित किया जाए।
- (3) राष्ट्रीय प्राधिकरण की निगरानी समूह की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार ऐसी तिथि को और ऐसे स्थान पर आयोजित होगी जो महा-निदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्णीत हो।
- 17. बैठक की सूचना-**शासी निकाय या कार्यकारी समिति या निगरानी समूह की किसी भी बैठक के लिए सदस्यों को पांच दिन पहले स्पष्ट सूचना दी जाएगी, जिनमें पोस्टिंग की तिथि और बैठक की तिथि को शामिल नहीं किया जाएगा; परंतु अत्यावश्यक होने पर, शासी निकाय या कार्यकारी समिति का सदस्य सचिव, शासी निकाय या कार्यकारी समिति की अनुमति से, जो भी स्थिति हो, अल्पकालिक नोटिस पर बैठक बुलायेगा:
- परंतु यह भी कि अत्यावश्यक मामले में, महा-निदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अल्पकालिक नोटिस पर निगरानी समूह की बैठक बुलाई जाएगी।
- 18. बैठक का कोरम-**(1) शासी निकाय या कार्यकारी समिति, जो भी स्थिति हो, की किसी भी बैठक में अध्यक्ष सहित एक तिहाई सदस्यों से कोरम पूरा होगा और किसी भिन्न संख्या को अगली उच्चतर संख्या में पूर्ण कर दिया जाएगा।
- (2) निगरानी समूह की किसी भी बैठक में महा-निदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार सहित निगरानी समूह के एक तिहाई सदस्यों से कोरम पूरा होगा और किसी भिन्न संख्या को अगली उच्चतर संख्या में पूर्ण कर दिया जाएगा।
- 19. बैठक का स्थगन-** जहां बैठक के आरंभ के लिए सूचित समय के 30 मिनट के भीतर कोरम के अनुसार सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो, बैठक को अगले सप्ताह के उसी दिवस, समय और स्थान के लिए स्थगित माना जाएगा तथा स्थगित की गई बैठक में उपस्थित सदस्यों से कोरम पूरा होगा।
- 20. बैठक में निर्णय-** बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमत से निर्णय लिए जाएंगे।
- 21. अध्यक्ष आदि द्वारा बैठक की अध्यक्षता-** शासी निकाय की प्रत्येक बैठक में अध्यक्ष द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा अध्यक्षता की जाएगी।
- 22. राज्य प्राधिकरण के शासी निकाय, संचालन समिति और कार्यकारी समिति की बैठकें-**(1) सदस्य सचिव द्वारा तैयार की गई कार्यसूची में उल्लिखित मुद्दों पर विचार करने के लिए राज्य प्राधिकरण के शासी निकाय की बैठक 6 माह में कम से कम एक बार ऐसी तिथि को और ऐसे स्थान पर आयोजित होगी, जो अध्यक्ष द्वारा शासी निकाय के सदस्य सचिव के साथ परामर्श करके निर्णीत हो।
- (2) सदस्य सचिव द्वारा तैयार की गई कार्यसूची में उल्लिखित मुद्दों पर विचार करने के लिए राज्य प्राधिकरण के संचालन समिति की बैठक 6 माह में कम से कम एक बार ऐसी तिथि को और ऐसे स्थान पर आयोजित होगी, जो अध्यक्ष द्वारा संचालन समिति के सदस्य सचिव के साथ परामर्श करके निर्णीत हो।
- (3) सदस्य सचिव द्वारा तैयार की गई कार्यसूची में उल्लिखित मुद्दों पर विचार करने के लिए राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी समिति की बैठक 6 माह में कम से कम एक बार ऐसी तिथि को और ऐसे स्थान पर आयोजित होगी, जो अध्यक्ष द्वारा कार्यकारी समिति के सदस्य सचिव के साथ परामर्श करके निर्णीत हो।
- 23. बैठक की सूचना-**शासी निकाय या संचालन समिति या कार्यकारी समिति की किसी भी बैठक के लिए सदस्यों को पांच दिन पहले स्पष्ट सूचना दी जाएगी, जिनमें पोस्टिंग की तिथि और बैठक की तिथि को शामिल नहीं किया जाएगा; परंतु अत्यावश्यक होने पर, शासी निकाय या संचालन समिति या कार्यकारी समिति का सदस्य सचिव, शासी निकाय या संचालन समिति या कार्यकारी समिति की अनुमति से, जो भी स्थिति हो, अल्पकालिक नोटिस पर बैठक बुलायेगा:
- 24. बैठक का कोरम-** शासी निकाय या संचालन समिति या कार्यकारी समिति, जो भी स्थिति हो, की किसी भी बैठक में अध्यक्ष सहित एक तिहाई सदस्यों से कोरम पूरा होगा और किसी भिन्न संख्या को अगली उच्चतर संख्या में पूर्ण कर दिया जाएगा।
- 25. बैठक का स्थगन-** जहां बैठक के आरंभ के लिए सूचित समय के 30 मिनट के भीतर कोरम के अनुसार सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो, बैठक को अगले सप्ताह के उसी दिवस, समय और स्थान के लिए स्थगित माना जाएगा तथा स्थगित की गई बैठक में उपस्थित सदस्यों से कोरम पूरा होगा।
- 26. बैठक में निर्णय-** बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमत से निर्णय लिए जाएंगे।
- 27. अध्यक्ष आदि द्वारा बैठक की अध्यक्षता-** शासी निकाय की प्रत्येक बैठक में अध्यक्ष द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा अध्यक्षता की जाएगी।



- 28. राष्ट्रीय प्राधिकरण का वित्तीय विनियमन और प्रक्रियाएं-** वित्तीय विनियमन और प्रक्रियाएं, विशेष रूप से राष्ट्रीय प्राधिकरण के बजट की तैयारी और कार्यान्वयन की प्रक्रिया, सामान्य वित्तीय नियम, 2017 और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार होंगी।
- 29. राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा बजट को तैयार करना :** राष्ट्रीय प्राधिकरण, अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपने बजट को राष्ट्रीय प्राधिकरण की आकलित प्रामियों और व्यय को दर्शाते हुए अगले वित्तीय वर्ष के लिए शासी निकाय द्वारा तैयार और अनुमोदित राष्ट्रीय प्राधिकरण की विभिन्न स्कीमों सहित वार्षिक प्रचालन योजना के आधार पर **प्रपत्र-I** में राष्ट्रीय प्राधिकरण की आकलित प्रामियों और व्यय को दर्शाते हुए तैयार करेगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में **31 दिसम्बर** तक इसे केन्द्र सरकार को अग्रेषित करेगा।
- 30. राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा लेखों का रखरखाव और वार्षिक लेखा विवरण तैयार करना :** प्रामियों तथा भुगतान और व्यय के लिए लेखों का मासिक विवरण **प्रपत्र-II** में तैयार किया जाएगा, राष्ट्रीय प्राधिकरण के वार्षिक लेखा विवरण को **प्रपत्र-III** में तैयार किया जाएगा। राष्ट्रीय प्राधिकरण, **प्रपत्र-V** में यथा उल्लिखित अभिलेखों और लेखों का रखरखाव करेगा।
- 31. वार्षिक रिपोर्ट :** राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा वार्षिक रिपोर्ट को भिन्न शीषकों और भिन्न अध्यायों में समेकन के साथ राष्ट्रीय निधि से आरम्भ किए गए सभी कार्यकलापों का सार वर्णन देते हुए तैयार किया जाएगा। रिपोर्ट में किए गए कार्यों तथा वार्षिक प्रचालन योजना में तैयार और अनुमोदित स्कीमों का सार शामिल होगा। वार्षिक रिपोर्ट के **प्रपत्र-V** में विवरण शामिल होगा।
- 32. राज्य प्राधिकरण का वित्तीय विनियमन और क्रियाविधियां :** वित्तीय विनियमन और क्रियाविधियां, विशेष रूप से राज्य प्राधिकरण के बजट का आहरण और क्रियान्वयन करने हेतु क्रियाविधि, सामान्य वित्तीय नियम 2017 तथा इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार होगी।
- 33. राज्य प्राधिकरण द्वारा बजट को तैयार करना :** राज्य प्राधिकरण, अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपने बजट को राज्य प्राधिकरण की आकलित प्रामियों और व्यय को दर्शाते हुए अगले वित्तीय वर्ष के लिए शासी निकाय द्वारा तैयार और अनुमोदित वार्षिक प्रचालन योजना के आधार पर **प्रपत्र-VI** में राज्य प्राधिकरण की आकलित प्रामियों और व्यय को दर्शाते हुए तैयार करेगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में **31 दिसम्बर** तक इसे राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को अग्रेषित करेगा।
- 34. राज्य प्राधिकरण द्वारा लेखों का रखरखाव और वार्षिक लेखा विवरण तैयार करना :** मासिक लेखा विवरण **प्रपत्र-VII** में तैयार किया जाएगा, राज्य प्राधिकरण की वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों संबंधी मासिक विवरण **प्रपत्र-VIII** में और राज्य प्राधिकरण का वार्षिक लेखा विवरण **प्रपत्र-IX** में तैयार किया जाएगा। राज्य प्राधिकरण, **प्रपत्र-X** में यथा उल्लिखित राज्य प्राधिकरण के अभिलेखों और लेखों का रखरखाव करेगा।
- 35. वार्षिक रिपोर्ट :** राज्य प्राधिकरण द्वारा वार्षिक रिपोर्ट को भिन्न शीषकों और भिन्न अध्यायों में समेकन के साथ राज्य निधि से आरम्भ किए गए सभी कार्यकलापों का सार वर्णन देते हुए तैयार किया जाएगा। रिपोर्ट में किए गए कार्यों तथा वार्षिक प्रचालन योजना में तैयार और अनुमोदित स्कीमों का सार शामिल होगा। वार्षिक रिपोर्ट के **प्रपत्र-XI** में विवरण शामिल होगा।
- 36. राज्य की वार्षिक प्रचालन योजना :** राज्य प्राधिकरण इसे **प्रपत्र-XII** में तैयार करेगा और राज्य प्राधिकरण द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष की 31 दिसम्बर से पहले इसे राष्ट्रीय प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

[फा. सं. 11-100/2015-एफ सी (वोल्यू. III)]

दीपक कुमार सिन्हा, वन महानिरीक्षक

प्रपत्र-I

वित्तीय वर्ष-----के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण का वार्षिक बजट प्रस्ताव-----

[अधिनियम की धारा 20 (i) के अधीन ]

1	2	3	4
क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वित्तीय वर्ष (रुपयों में)	विगत वित्तीय वर्ष (रुपयों में)
1.	क. 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार तदर्थ सीएएमपीए से प्राप्त निधियों का आरम्भिक अतिशेष		
	ख. 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार राज्य प्राधिकरणों से प्राप्त निधियों का आरम्भिक अतिशेष		

	ग. 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार प्राप्त ऋणों/अनुदानों का आरम्भिक अतिशेष		
2.	राष्ट्रीय प्राधिकरण की अनुमानित वार्षिक प्राप्ति		
	क. राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा राज्य प्राधिकरणों से निधियों की प्राप्ति		
	ख. राष्ट्रीय निधि पर प्रोद्भूत ब्याज की प्राप्ति		
	ग. राष्ट्रीय प्राधिकरण के अनुदानों/ऋणों/अन्य की प्राप्ति		
	घ. कोई अन्य आय		
3.	राष्ट्रीय प्राधिकरण के पास उपलब्ध कुल अनुमानित निधियां (1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार (1+2))		
4. (i)	एनसीएएफ में से राष्ट्रीय प्राधिकरण का वार्षिक व्यय		
	क. आवर्ती प्रबंधन व्यय		
	i. कार्मिक सेवाएं और लाभ		
	ii. प्रशासनिक खर्चे		
	iii. अन्य प्रशासनिक खर्चे		
	iv. कोई अन्य व्यय		
	ख. अनावर्ती प्रबंधन व्यय जैसे पूंजीगत आस्तियों का सृजन		
	ग. चालू योजनाओं पर व्यय		
	घ. नई योजनाओं पर व्यय		
	ङ. निगरानी और मूल्यांकन व्यय		
4. (ii)	अनुदानों/ऋणों इत्यादि से कुल अनुमानित व्यय		
5. (i)	अनुमानित सकल कुल व्यय {4(i) + 4(ii)}		
(ii)	तदर्थ सीएएमपीए से प्राप्त निधियों में से राज्य प्राधिकरणों को किये जाने वाले अनुमानित भुगतान		
6.	राष्ट्रीय प्राधिकरण के पास कुल अंतिम अतिशेष		
	क. तदर्थ सीएएमपीए से प्राप्त निधियों का अंतिम अतिशेष		
	ख. राज्य प्राधिकरणों से प्राप्ति में से अंतिम अतिशेष		
	ग. अनुदानों/ऋणों इत्यादि का अंतिम अतिशेष		

## घोषणा

ऊपर उल्लिखित अनुसार प्रस्ताव राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित और ग्रहीत किया गया है।

दिनांक:

सदस्य सचिव,  
राष्ट्रीय प्राधिकरण

## प्रपत्र-II

प्राप्ति और भुगतान/व्यय के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के लेखाओं का मासिक विवरण

मास----- वित्तीय वर्ष-----

[अधिनियम की धारा 22 (1) के अधीन]

31 मार्च ----- की स्थिति के अनुसार

1	2	3	4	5
क्र. सं.	शीर्ष	वर्तमान मास (रुपयों में)	विगत मास (रुपयों में)	इस मास तक संचयी धनराशि (रुपयों में)
I	एनसीएफ का कुल आरम्भिक अतिशेष (क+ख+ग+घ)			
क.	तदर्थ सीएएमपीए के 10 प्रतिशत भाग से एनसीएफ की मूलधन राशि का आरम्भिक अतिशेष			
ख.	एनसीएफ से एससीएफ द्वारा प्राप्त 10 प्रतिशत भाग की आरम्भिक अतिशेष धनराशि			
ग	एनसीएफ को प्रोदभूत ब्याज की आरम्भिक अतिशेष धनराशि			
घ	राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा खर्च न किए गए अनुदान, ऋण इत्यादि की आरम्भिक अतिशेष धनराशि			
II	तदर्थ सीएएमपीए के अधीन एससीएफ के भाग की आरम्भिक अतिशेष धनराशि जो अभी एनसीएफ (क+ख) के पास पड़ी है।			
क	एससीएफ को संदेय तदर्थ सीएएमपीए के 90 प्रतिशत भाग की आरम्भिक अतिशेष धनराशि जो अभी एनसीएफ के पास पड़ी है (राज्यों के नामों का उल्लेख करें)			
ख	एससीएफ को संदेय तदर्थ सीएएमपीए के 90 प्रतिशत भाग पर ब्याज की आरम्भिक अतिशेष धनराशि जो अभी एनसीएफ के पास पड़ी है (राज्यों के नामों का उल्लेख करें)			
III	वर्ष के दौरान एनसीएफ द्वारा प्राप्त कुल धनराशि (क+ख)			
क	एनसीएफ को प्रोदभूत ब्याज की धनराशि			
	i. तदर्थ सीएएमपीए तथा सीएफए के अधीन के 10 प्रतिशत भाग से एनसीएफ को प्रोदभूत ब्याज की धनराशि			
	ii. तदर्थ सीएएमपीए के 90 प्रतिशत भाग से एनसीएफ को प्रोदभूत ब्याज की धनराशि जो अभी एनसीएफ द्वारा एससीएफ को हस्तान्तरित नहीं की गई है।			
ख	एनसीएफ द्वारा प्राप्त धनराशि (तदर्थ सीएएमपीए के अतिरिक्त) (i+ii)			
	i. एससीएफ से प्राप्त निधियां (एनसीएफ के 10 प्रतिशत भाग के रूप में)			

	ii. प्राप्त अनुदानों, ऋणों इत्यादि की धनराशि			
IV	सीएएफ के अधीन राज्यों द्वारा संग्रहित एनसीएफ के 10 प्रतिशत भाग की धनराशि उस पर ब्याज सहित और जो एनसीएफ को हस्तांतरित न की गई हो (राज्यों के नामों का उल्लेख करें)			
V	तदर्थ सीएएमपीए (क+ख) से एनसीएफ द्वारा एससीएफ को कुल भुगतान			
क	एनसीएफ द्वारा एससीएफ को भुगतान (तदर्थ सीएएमपीए के 90 प्रतिशत भाग में से (1+2+3+4+5+6+7+8+9)			
	1. प्रतिपूरक वनीकरण			
	2. अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण			
	3. दाण्डिक प्रतिपूरक वनीकरण			
	4. निवल वर्तमान मूल्य			
	5. दाण्डिक निवल वर्तमान मूल्य			
	6. जलागम क्षेत्र उपचार प्रभार			
	7. वन्यजीव संरक्षण योजना प्रभार			
	8. सुरक्षा जोन उपचार प्रभार			
	9. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)			
ख	तदर्थ सीएएमपीए पर प्रोदभूत ब्याज में से एनसीएफ द्वारा एससीएफ को भुगतान			
VI	वर्ष के दौरान राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा मूलधन और ब्याज की राशि में से किया गया व्यय कुल			
	(क+ख)			
(क)	प्रशासनिक व्यय (i+ii+iii+iv+v+vi)			
	i. कार्मिक सेवाएं और लाभ			
	ii. प्रशासनिक खर्चे			
	iii. अन्य प्रशासनिक खर्चे			
	iv. निगरानी और मूल्यांकन व्यय			
	v. अन्य प्रशासनिक खर्चे			
	vi. अनावर्ती प्रबंधन व्यय जैसे पूंजीगत आस्तियों का सृजन			
(ख)	योजनाओं पर व्यय (i+ii+iii)			
	i. चालू योजनाओं पर व्यय			
	ii. नई योजनाओं पर व्यय			
	iii. अन्य			
V	एनसीएफ का कुल अंतिम अतशेष (क+ख+ग+घ+ङ.+च)			
	क. एनसीएफ की मूलधन राशि का अंतिम अतिशेष (तदर्थ सीएएमपीए का 10 प्रतिशत भाग)			
	ख. सीएएफ के अधीन एससीएफ से एनसीएफ द्वारा प्राप्त 10 प्रतिशत भाग की अंतिम अतिशेष धनराशि			

	ग. एनसीएएफ को प्रोदभूत ब्याज की अंतिम अतिशेष धनराशि घ. राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा प्राप्त अनुदानों, ऋणों इत्यादि की अंतिम अतिशेष धनराशि			
VI	क. एससीएएफ को संदेय, तदर्थ सीएएमपीए के 90 प्रतिशत भाग की अंतिम अतिशेष धनराशि जो अभी एनसीएएफ के पास पड़ी है (राज्यों के नामों का उल्लेख करें)			
	ख. एससीएएफ को संदेय, तदर्थ सीएएमपीए के 90 प्रतिशत भाग पर ब्याज की अंतिम अतिशेष धनराशि, जो अभी एनसीएएफ के पास पड़ी है (राज्यों के नामों का उल्लेख करें)			

## प्रपत्र-III

वित्तीय वर्ष ----- के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के खातों का वार्षिक विवरण

[अधिनियम की धारा 22 (1) के अन्तर्गत ]

मार्च .....की स्थिति के अनुसार

1	2	3	4
क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वित्तीय वर्ष (रुपये में)	पिछला वित्तीय वर्ष (रुपये में)
I.	एनसीएएफ का कुल आरंभिक अतिशेष (क + ख + ग + घ + ङ. + च)		
क.	एनसीएएफ की मूल राशि का आरंभिक अतिशेष (तदर्थ काम्पा का 10% हिस्सा)		
ख.	सीएएफ के तहत एससीएएफ से एनसीएएफ द्वारा प्राप्त 10% हिस्से की एक आरंभिक अतिशेष धनराशि		
ग.	एनसीएएफ से प्राप्त ब्याज की आरंभिक अतिशेष धनराशि (तदर्थ काम्पा और सीएएफ जमा)		
घ.	राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा प्राप्त अनुदानों, ऋणों आदि की आरंभिक अतिशेष धनराशि		
ङ.	एनसीएएफ के पास अभी तक पड़े हुए एससीएएफ के कारण तदर्थ काम्पा के 90% हिस्से की आरंभिक अतिशेष धनराशि (राज्यों के नामों का उल्लेख करें)		
च.	एनसीएएफ के पास अभी तक पड़े हुए एससीएएफ के कारण तदर्थ काम्पा के 90% हिस्से की आरंभिक अतिशेष धनराशि (राज्यों के नामों का उल्लेख करें)		
II.	एससीएएफ की कुल आरंभिक अतिशेष धनराशि क + ख + ग + घ)		
क.	व्यय के बाद सभी राज्यों की मूल धनराशि के संघटकवार आरंभिक अतिशेष (तदर्थ काम्पा का 90% हिस्सा) (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)		
	1. प्रतिपूरक वनीकरण		
	2. अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण		
	3. दण्डात्मक प्रतिपूरक वनीकरण		

	4. निवल वर्तमान मूल्य		
	5. दण्डात्मक निवल वर्तमान मूल्य		
	6. आवाह क्षेत्र उपचार शुल्क		
	7. वन्यजीव संरक्षण योजना प्रभार		
	8. सुरक्षा क्षेत्र उपचार प्रभार		
	9. अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		
ख.	एससीएफ द्वारा प्राप्त ब्याज की आरंभिक अतिशेष धनराशि (तदर्थ काम्पा और सीएफ जमा दोनों पर)		
ग.	राज्य प्राधिकरण द्वारा प्राप्त अनुदानों, ऋणों आदि की आरंभिक अतिशेष धनराशि		
घ.	राज्यों द्वारा सीएफ के तहत एकत्र किए गए और एनसीएफ को हस्तांतरित न किए गए एनसीएफ के 10% हिस्से की आरंभिक अतिशेष राशि		
III.	वर्ष के दौरान एनसीएफ द्वारा प्राप्त कुल धनराशि ( क + ख )		
क.	एनसीएफ के लिए अर्जित ब्याज की धनराशि		
	i. तदर्थ काम्पा के 10% हिस्से में से एनसीएफ को अर्जित ब्याज की धनराशि		
	ii. तदर्थ काम्पा के 90% हिस्से से एनसीएफ को अर्जित ब्याज की धनराशि जो अभी भी एनसीएफ द्वारा एससीएफ को हस्तांतरित नहीं की गई है		
ख.	एनसीएफ द्वारा प्राप्ति की धनराशि (तदर्थ काम्पा के अलावा (i + ii )		
	i. सीएफ के तहत एससीएफ से निधियों की प्राप्ति (एनसीएफ के हिस्से के रूप में 10%)		
	ii. प्राप्त अनुदानों, ऋणों आदि की धनराशि		
IV.	सीएफ के तहत एससीएफ द्वारा प्राप्त, एनसीएफ की बकाया देय धनराशि		
	i. राज्यों द्वारा एकत्र किए गए सीएफ के तहत एनसीएफ के 10% हिस्से की धनराशि जिसे एनसीएफ को हस्तांतरित नहीं किया गया है (राज्यों के नाम का उल्लेख करें)		
	ii. एससीएफ के लिए अर्जित ब्याज की धनराशि (एनसीएफ के 10% हिस्से पर जिसे एनसीएफ को हस्तांतरित नहीं किया गया है)		
V.	वर्ष के दौरान एससीएफ द्वारा प्राप्त कुल धनराशि (क + ख + ग)		
क.	एससीएफ के लिए अर्जित ब्याज की धनराशि (एससीएफ जमा पर)		
ख.	एससीएफ द्वारा प्राप्त धनराशि (तदर्थ काम्पा के अलावा) ( i + ii )		
	i. एससीएफ द्वारा निधियों की प्राप्ति (सीएफ के तहत एससीएफ के हिस्से के रूप में 90% )		
	ii. एससीएफ द्वारा प्राप्त अनुदानों, ऋणों आदि की धनराशि		
VI.	तदर्थ काम्पा में से एससीएफ को एनसीएफ द्वारा कुल भुगतान (क + ख)		
क.	एससीएफ को एनसीएफ द्वारा भुगतान (तदर्थ काम्पा के 90% में से) (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)		
	1. प्रतिपूरक वनीकरण		
	2. अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण		
	3. दण्डात्मक प्रतिपूरक वनीकरण		

	4. निवल वर्तमान मूल्य		
	5. दण्डात्मक निवल वर्तमान मूल्य		
	6. आवाह क्षेत्र उपचार शुल्क		
	7. वन्यजीव संरक्षण योजना प्रभार		
	8. सुरक्षा क्षेत्र उपचार प्रभार		
	9. अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		
ख.	तदर्थ काम्पा के अर्जित ब्याज में से एससीएएफ को एनसीएफ द्वारा भुगतान		
VII.	मूल और ब्याज की धनराशि में से वर्ष के दौरान राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा कुल व्यय ( क + ख )		
(क)	प्रशासनिक व्यय ( i + ii + iii + iv + v + vi )		
	i. कार्मिक सेवाएं और लाभ		
	ii. प्रशासनिक व्यय		
	iii. अन्य प्रशासनिक व्यय		
	iv. निगरानी और मूल्यांकन व्यय		
	v. अन्य प्रशासनिक व्यय		
	vi. गैर आवर्ती प्रबंधन व्यय जैसे पूंजीगत संपत्ति का निर्माण		
(ख)	स्कीमों पर व्यय ( i + ii + iii )		
	i. चल रही स्कीमों पर व्यय		
	ii. नई स्कीमों पर व्यय		
	iii अन्य		
VIII.	एससीएएफ द्वारा कुल व्यय ( क + ख + ग )		
	i. तदर्थ काम्पा में से एससीएएफ द्वारा कुल व्यय		
	ii. सीएएफए के अन्तर्गत एससीएएफ द्वारा कुल व्यय		
	iii. सीएएफए के अन्तर्गत एससीएएफ द्वारा कुल व्यय		
V.	एन सी ए एफ की कुल अन्तिम अतिशेष धनराशि ( क + ख + ग + घ + ङ. + च )		
	क. एनसीएएफ की मूल धनराशि का अन्तिम अतिशेष ( तदर्थ काम्पा का 10% हिस्सा )		
	ख. सीएएफए के अन्तर्गत एससीएएफ से एनसीएएफ द्वारा प्राप्त 10% हिस्से की अन्तिम अतिशेष धनराशि		
	ग. एनसीएएफ द्वारा प्राप्त ब्याज की अन्तिम अतिशेष धनराशि		
	घ. राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा प्राप्त अनुदानों, ऋणों आदि की अन्तिम अतिशेष धनराशि		
	ङ. एससीएएफ के कारण तदर्थ काम्पा के 90% हिस्से की अन्तिम अतिशेष धनराशि जो अभी भी एनसीएएफ के पास है (राज्यों के नाम का उल्लेख करें) (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)		
	1. प्रतिपूरक बनीकरण		

	2. अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण		
	3. दण्डात्मक प्रतिपूरक वनीकरण		
	4. निवल वर्तमान मूल्य		
	5. दण्डात्मक निवल वर्तमान मूल्य		
	6. आवाह क्षेत्र उपचार शुल्क		
	7. वन्यजीव संरक्षण योजना प्रभार		
	8. सुरक्षा क्षेत्र उपचार प्रभार		
	9. अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		
	च. एससीएफ के कारण तदर्थ काम्पा के 90% हिस्से की अन्तिम अतिशेष धनराशि जो अभी भी एनसीएफ के पास है (राज्यों के नाम का उल्लेख करें)		
VI.	एससीएफ की कुल अन्तिम अतिशेष धनराशि (क + ख + ग + घ )		
	क. व्यय के बाद सभी राज्यों की संघटकवार मूल धनराशि का अन्तिम अतिशेष (तदर्थ काम्पा का 90% हिस्सा) (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)		
	ख. एससीएफ द्वारा प्राप्त ब्याज की अन्तिम अतिशेष धनराशि (तदर्थ काम्पा पर और सीएफए के अन्तर्गत, दोनों)		
	ग. राज्य प्राधिकरण द्वारा प्राप्त अनुदानों, ऋणों आदि का अन्तिम अतिशेष		
	घ. सीएफए के अन्तर्गत राज्यों द्वारा एकत्रित और ब्याज सहित एनसीएफ को हस्तांतरित न किए गए 10% हिस्से की अन्तिम अतिशेष धनराशि		
VII.	राज्यों से एनसीएफ की बकाया देय राशि के संचयी आंकड़े ( सीएफए के अन्तर्गत राज्यों द्वारा एकत्रित और ब्याज सहित एनसीएफ को हस्तांतरित न किए गए एनसीएफ के 10% हिस्से में से)		

### घोषणा

उपरोक्त रिपोर्ट को सत्यापित किया गया है और सही पाया गया है। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत की गई है।

तारीख:

हस्ताक्षर

सदस्य सचिव, राष्ट्रीय प्राधिकरण

### प्रपत्र

राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख और खाते

[अधिनियम की धारा 22 (1) के अन्तर्गत]

निम्नलिखित खाते/अभिलेख रखे जाएंगे:

1. केश बुक, लेजर, जर्नल, लोक-निधि लेखा रजिस्टर
2. स्टॉक रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर
3. खातों के शीर्षों द्वारा व्यय को दर्शाने वाले रजिस्टर



4. मासिक वित्तीय लेखा विवरण और वास्तविक परिणाम
5. तिमाही निगरानी रजिस्टर
6. एससीएएफ से एनसीएएफ के वार्षिक हिस्से के लिए रजिस्टर (राज्यवार)
7. अनुदानों/ऋणों आदि का रजिस्टर

**प्रपत्र-V**

दिनांक 31 मार्च, 20 --- को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण का लेखा विवरण

[अधिनियम की धारा 23 (2) (i) और (ii) के अन्तर्गत]

(अन्य अनुदानों / ऋणों आदि के लिए अलग-अलग प्रपत्र जमा किए जाने हैं)

31 मार्च ---की स्थिति के अनुसार

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र.सं.	शीर्ष	एपीओ में यथा अनुमोदित वास्तविक परिणाम (इकाइयों में)	वर्ष के दौरान यथार्थ वास्तविक उपलब्धि (इकाइयों में)	आज की तारीख तक संचयी वास्तविक उपलब्धि (इकाइयों में)	वर्ष के दौरान बजट आवंटन (रुपए में)	व्यय की गई वास्तविक धनराशि (रुपये में)	आज की तारीख तक संचयी धनराशि (रुपये में)
I	स्कीमें						
	क. चल रही योजनाएं						
	i.						
	ii.						
	iii.						
	iv.						
	v.						
	ख. नई स्कीमें						
	i.						
	ii.						
	iii.						
	iv.						
	v.						
	ग. अन्य (निर्दिष्ट करें)						
	i.						
	ii.						
	iii.						

	iv.						

		बजट आवंटन (रुपये में)	वर्ष के दौरान व्यय की गई वास्तविक धनराशि (रुपये में)	पिछले वर्ष के दौरान व्यय की गई वास्तविक धनराशि (रुपये में)	अभ्युक्तियां
॥क.	प्रशासनिक शुल्क *				
ख.	अन्य प्रशासनिक व्यय *				
ग.	अन्य *				
॥॥	निगरानी और मूल्यांकन				
	क. वार्षिक लेखा परीक्षा				
	ख. सीएजी लेखा परीक्षा				
	ग. ई-ग्रीन वॉच परिणाम				
	घ. तृतीय पक्ष निगरानी				

### घोषणा :

उपरोक्त रिपोर्ट सत्यापित कर ली गई है और सही पाई गई है। इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत किया गया है।

दिनांक :

हस्ताक्षर

सदस्य सचिव, राष्ट्रीय प्राधिकरण

**टिप्पणी : II** क\* प्रशासनिक प्रभारों में शामिल हैं- स्टाफ का वेतन और मजदूरियां, वेतन और भत्ते, समयोपरि भत्तें, पेंशन संबंधी प्रभार, चिकित्सा उपचार, प्रशासनिक व्यय, घरेलू यात्रा विदेश यात्रा, कार्यालय व्यय, इलेक्ट्रिसिटी और विद्युत, जल प्रभार, किराया, दरें ओर कर (संपत्ति कर सहित) पीओएल सहित स्टाफ कार की खरीद और रख रखाव।

II ख\* अन्य प्रशासनिक प्रभारों में शामिल है- कान्फ्रेंस, संगोष्ठी, कार्यशालाओं आदि पर व्यय, प्रशिक्षण कार्यक्रम, विज्ञापन और प्रचार, गौण कार्य, व्यावसायिक सेवाएं, अन्य संविदा सेवाएं।

III ग\* अन्य में शामिल हैं, हुलाई और आवक हुलाई प्रभार (स्थिर परिसंपत्तियों की अनावर्ती मदों की खरीद पर), मुद्रण और प्रकाशन (शैक्षिक से इतर) अंशदान व्यय (शैक्षिक से इतर), राष्ट्रीय प्राधिकरण की पूंजी पारिसंपत्ति का सृजन जैसे, अनावर्ती प्रबंधन व्यय, कोई अन्य व्यय।

**\_\_\_\_\_ वित्त वर्ष के लिए राज्य प्राधिकरण का वार्षिक बजट प्रस्ताव**

**[अधिनियम की धारा 25(1) के तहत]**

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वित्त वर्ष (रु. में)	गत वित्त वर्ष (रु. में)
1.	क 1 अप्रैल को राष्ट्रीय प्राधिकरण से प्राप्त निधियों का अथशेष		
	ख 1 अप्रैल को यथा प्राप्त ऋण/अनुदान आदि का अथशेष		
2.	राज्य प्राधिकरण की अनुमानित वार्षिक प्राप्ति		
	(क) प्रयोक्ता अभिकरणों से राज्य प्राधिकरणों द्वारा निधि की प्राप्ति		
	(ख) राज्य निधि पर उपार्जित ब्याज की प्राप्ति		
	(ग) राज्य प्राधिकरण के अनुदान/ऋण/अन्य की प्राप्ति		
	(घ) कोई अन्य आय		
3.	राज्य प्राधिकरण के पास उपलब्ध कुल अनुमानित निधि (1 अप्रैल को) (1+2)		
4.(i)	राज्य प्राधिकरण का एससीएफ में से वार्षिक व्यय		
	निवल वर्तमान मूल्य		
	आवर्ती प्रबंधन व्यय		
	i. कार्मिक सेवाएं और लाभ		
	ii. प्रशासनिक व्यय		
	iii. अन्य प्रशासनिक व्यय		
	iv. कोई अन्य व्यय		
	क. पूंजी परिसंपत्ति के सृजन जैसे अनावर्ती प्रबंधन व्यय		
	ख. वनीकरण और अन्य अनुमेय कार्यकलाप		
	ग. चालू कार्यों पर व्यय		
	घ. नए कार्यों पर व्यय		
	ड. अनुवीक्षण और मूल्यांकन व्यय		
	4(ii)	क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य	
4(iii)	आवाह क्षेत्र उपचार कार्य		
4(iv)	वन्यजीव प्रबंधन कार्य		
4(v)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
4(vi)	ब्याज: अनुमेय कार्यकलापों पर कार्य (विनिर्दिष्ट करें)		
4(vii)	अनुदानों/ऋणों आदि में से कुल अनुमानित व्यय		
5(i)	अनुमानित सकल कुल व्यय {4(i)+4(ii)+4(iii)+4(iv)+4(v)+4(vi)+4(vii)}		
(ii)	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त निधियों में से राष्ट्रीय प्राधिकरणों को		

	अनुमानित भुगतान।		
6.	राज्य प्राधिकरण के पास कुल अंतशेष		
	क राष्ट्रीय प्राधिकरण से प्राप्त निधियों का अंतशेष		
	ख. प्रयोक्ता अभिकरणों से प्राप्ति में से अंतशेष		
	ग. अनुदानों/ऋणों आदि का अंतशेष		

### घोषणा

उपरोक्त बजट प्रस्ताव राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित और अंगीकृत किया गया है।

दिनांक:

सदस्य सचिव

राज्य प्राधिकरण

### प्रपत्र-VII

### माह के लिए राज्य प्राधिकरण का मासिक विवरण/लेखा

[अधिनियम की धारा 27(1) के तहत]

I.	एससीएफ का कुल अथशेष (क+ख+ग+घ)	तदर्थ काम्पा के अंतर्गत एससीएफ के 90% अंश में से	सीएफए के तहत एससीएफ के 90% अंश में से	वर्तमान माह (रू. में)	गत माह (रू. में)	इस माह तक संचयी धनराशि (रू. में)
क.	सभी राज्यों का घटक-वार मूल धनराशि का अथशेष (1+2+3+4+5+6+7+8+9)					
	1. प्रतिपूर्ति बनीकरण					
	2. अतिरिक्त प्रतिपूर्ति बनीकरण					
	3. दांडिक प्रतिपूर्ति बनीकरण					
	4. निवल वर्तमान मूल्य					
	5. दांडिक निवल वर्तमान मूल्य					
	6. आवाह क्षेत्र उपचार प्रभार					
	7. वन्यजीव संरक्षण योजना प्रभार					
	8. सुरक्षा क्षेत्र उपचार प्रभार					
	9. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)					

ख.	एस्सीएफ द्वारा प्राप्त ब्याज की अथशेष धनराशि (तदर्थ काम्पा और सीएएफ के अंतर्गत दोनों पर)					
ग.	राज्य प्राधिकरण द्वारा प्राप्त अनुदानों, ऋणों आदि की अथशेष धनराशि					
घ.	सीएएफ के तहत राज्यों द्वारा संग्रहित ब्याज में विलंब सहित एनसीएफ के 10 प्रतिशत अंश की अथशेष धनराशि, जो एनसीएफ को अंतरित नहीं की गई					
<b>II.</b>	<b>वर्ष के दौरान एससीएफ द्वारा प्राप्त कुल धनराशि (क+ख+ग+घ)</b>					
क.	एससीएफ को उपार्जित ब्याज की राशि (सीएएफ के तहत एससीएफ जमाराशि पर और एनसीएफ द्वारा अंतरित तदर्थ काम्पा पर)					
ख.	तदर्थ काम्पा और सीएएफ के अंतर्गत एससीएफ द्वारा कुल प्राप्ति	तदर्थ काम्पा के अंतर्गत एससीएफ के <b>90%</b> अंश में से	सीएएफ के तहत एससीएफ के <b>90%</b> अंश में से			
	सभी राज्यों की घटक-वार मूल धनराशि <b>(1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>					
	1. प्रतिपूर्ति वनीकरण					
	2. अतिरिक्त प्रतिपूर्ति वनीकरण					
	3. दांडिक प्रतिपूर्ति वनीकरण					
	4. निवल वर्तमान मूल्य					
	5. दांडिक निवल वर्तमान मूल्य					
	6. आवाह क्षेत्र उपचार प्रभार					
	7. वन्यजीव संरक्षण योजना प्रभार					
	8. सुरक्षा क्षेत्र उपचार प्रभार					
	9. अन्य (कृपया उल्लेख करें)					
ग.	एससीएफ द्वारा प्राप्त अनुदान, ऋण इत्यादि की राशि					
घ.	सीएएफ के तहत एनसीएफ की <b>10%</b> हिस्सेदारी पर ब्याज की राशि जो एनसीएफ को हस्तांतरित नहीं की गई					
<b>III.</b>	<b>एससीएफ द्वारा कुल व्यय (क+ख)</b>					
क.	तदर्थ काम्पा और सीएएफ के तहत एससीएफ द्वारा कुल व्यय	तदर्थ काम्पा के तहत एससीएफ की हिस्सेदारी के <b>90%</b> में से	सीएएफ के तहत एससीएफ के <b>90%</b> में से			
	सभी राज्यों के घटकवार मूलधन राशि, <b>(1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>					
	1. प्रतिपूरक वनीकरण					
	2. अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण					
	3. दाण्डिक प्रतिपूरक वनीकरण					

	4. निवल वर्तमान मूल्य					
	5. दाण्डिक निवल वर्तमान मूल्य					
	6. आवाह क्षेत्र उपचार प्रभार					
	7. वन्यजीव संरक्षण योजना प्रभार					
	8. संरक्षित क्षेत्र उपचार प्रभार					
	9. अन्य (कृपया उल्लेख करें)					
ख.	तदर्थ काम्पा से और सीएएफए के तहत अंतरित ब्याज में से एससीएएफ द्वारा कुल व्यय					
	i. एससीएएफ द्वारा व्यय की गई राशि (उपचित ब्याज का 60%)[1+2+3+4+5+6]					
	ii. एससीएएफ द्वारा व्यय की गई राशि (उपचित ब्याज का 40%)					
IV.	एनसीएएफ का भुगतान					
	i. सीएएफए के तहत एनसीएएफ के 10% की मूलधन राशि में से					
	ii. एनसीएएफ की हिस्सेदारी के विलंब से भुगतान पर कुल ब्याज में से					
VI.	एससीएएफ का कुल अंत शेष (क+ख+ग+घ)					
	क. सभी एससीएएफ के घटकवार अंत शेष राशि	तदर्थ काम्पा में से	सीएएफए के तहत एससीएएफ का भाग			
	कुल मूलधन राशि (1+2+3+4+5+6+7+8+9)					
	1. प्रतिपूरक वनीकरण					
	2. अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण					
	3. दाण्डिक प्रतिपूरक वनीकरण					
	4. निवल वर्तमान मूल्य					
	5. दाण्डिक निवल वर्तमान मूल्य					
	6. आवाह क्षेत्र उपचार प्रभार					
	7. वन्यजीव संरक्षण योजना प्रभार					
	8. संरक्षित क्षेत्र उपचार प्रभार					
	9. अन्य (कृपया उल्लेख करें)					
	ख. एससीएएफ द्वारा प्राप्त कुल ब्याज राशि का अंत शेष (तदर्थ काम्पा तथा सीएएफए के तहत दोनों पर)					
	ग. राज्य प्राधिकरण द्वारा प्राप्त अनुदान, ऋण इत्यादि की अंत शेष राशि					
	घ. सीएएफए के तहत एनसीएएफ के 10% भाग की अंत शेष राशि और एनसीएएफ को विलम्ब से भुगतान करने पर राज्यों द्वारा संगृहीत ब्याज तथा एमसीएएफ को हस्तांतरित नहीं किया गया					

<b>VII.</b>	राज्यों से एनसीएएफ के बकाया देय राशि का संचयी आंकड़ा (सीएएफए के अंतर्गत 10% भाग में से और विलम्ब के कारण राज्यों द्वारा संगृहीत व्याज और एनसीएएफ को अंतरित नहीं)			
-------------	--	--	--	--

### घोषणा

उपरोक्त रिपोर्ट को सत्यापित किया गया है तथा सही पाया गया है। रिपोर्ट को राज्य प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत किया गया है।

हस्ताक्षर

सदस्य सचिव

राज्य प्राधिकरण

दिनांक

प्रपत्र-VIII

राज्य द्वारा वास्तविक तथा वित्तीय उपलब्धियों संबंधी राज्य प्राधिकरण का मासिक विवरण

[अधिनियम की धारा 27(1) के अंतर्गत]

क्र.सं.	विवरण	एपीओ में यथा अनुमोदित वास्तविक आउटकम लक्ष्य (हे. में/पेड़)	वर्ष के दौरान वास्तविक उपलब्धि (हे. में/पेड़)	आज की तारीख तक संचयी उपलब्धि (इकाई में) (हे. में/पेड़)	वर्तमान महीना (रूपये में)	पिछला महीना (रूपये में)	इस महीने तक संचयी राशि (रूपये में)
I.	तदर्थ काम्पा निधि में से कुल व्यय [मूल राशि से कुल घटकवार कार्य] (1+2+3+4+5+6+7+8+9)						
	1. प्रतिपूरक वनीकरण						
	2. अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण						
	3. दाण्डिक प्रतिपूरक वनीकरण						
	4. निवल वर्तमान मूल्य						
	5. दाण्डिक निवल वर्तमान मूल्य						
	6. आवाह क्षेत्र उपचार प्रभार						
	7. वन्यजीव संरक्षण योजना प्रभार						
	8. संरक्षित क्षेत्र उपचार प्रभार						

	9. अन्य (कृपया उल्लेख करें)						
II.	काम्पा के 90% हिस्सेदारी में से एससीएएफ द्वारा व्यय की गई राशि [मूल राशि से कुल घटकवार कार्य] (1+2+3+4+5+6+7+8+9)						
	कुल घटकवार मूलधन राशि कार्य						
	1. प्रतिपूरक वनीकरण						
	2. अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण						
	3. दाण्डिक प्रतिपूरक वनीकरण						
	4. निवल वर्तमान मूल्य						
	5. दाण्डिक निवल वर्तमान मूल्य						
	6. आवाह क्षेत्र उपचार प्रभार						
	7. वन्यजीव संरक्षण योजना प्रभार						
	8. सुरक्षा जोन उपचार प्रभार						
	9. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)						
III.	तदर्थ काम्पा से अंतरित ब्याज में से एससीएएफ द्वारा किया गया कुल व्यय						
IVक.	एससीएएफ द्वारा खर्च की गई राशि (उपचित ब्याज का 60%)[1+2+3+4+5+6]						
	1 प्रतिपूरक वनीकरण पर मुद्रास्फीति के कारण लागत में वृद्धि						
	2. जल ग्रहण क्षेत्र उपचार योजना पर मुद्रास्फीति के कारण लागत में वृद्धि						
	3 वन्यजीव प्रबंधन योजना पर मुद्रास्फीति के कारण लागत में वृद्धि						
	4. शुरू किए गए कार्यों की समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन						



	5. प्रचार-प्रसार और शैक्षिक स्कीम						
	6. संचालन समिति के अनुमोदन से कोई अन्य कार्यकलाप						
IVख.	<b>एससीएफ द्वारा खर्च की गई राशि (उपचित ब्याज का 40%)</b>						
	<b>कुल प्रशासनिक व्यय (i+ii+iii+iv+v)</b>						
	i.कार्मिक सेवाएं और हितलाभ						
	ii.प्रशासनिक व्यय						
	iii.अन्य प्रशासनिक व्यय						
	iv.निगरानी और मूल्यांकन व्यय						
	v.पूँजीगत परिसंपत्ति के सृजन जैसे अनावर्ती प्रबंधन व्यय						
V.	<b>सीएफए के तहत एनसीएफ को भुगतान की जाने वाली बकाया राशि (10 प्रतिशत अंशदान में से और एनसीएफ अंशदान पर उपचित ब्याज अंतरित नहीं)</b>						

## घोषणा

उपर्युक्त रिपोर्ट का सत्यापन कर लिया गया है और सही पाया गया है। इस रिपोर्ट को राज्य प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत किया गया है।

तिथि:

हस्ताक्षर  
सदस्य सचिव  
राज्य प्राधिकरण

## प्रपत्र-IX

राज्य द्वारा वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों के संबंध में राज्य प्राधिकरण का वार्षिक विवरण

[अधिनियम की धारा 27 (1) के तहत]

क्र.सं.	विवरण	एपीओ में यथा अनुमोदित वास्तविक लक्ष्य (इकाइयों में)	वर्ष के दौरान यथार्थ वास्तविक उपलब्धि (इकाइयों में)	वास्तविक लक्ष्य (अन्य)	वास्तविक उपलब्धियां (अन्य)	वित्तीय लक्ष्य (रु.में)	वित्तीय उपलब्धियां (रु.में)
I.	तदर्थ काम्पा निधियों में से कुल व्यय (मूल धनराशि से कुल घटक-वार कार्य) <b>(1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>						
	1.प्रतिपूरक वनीकरण						
	2.अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण						
	3.दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण						

	4.निवल वर्तमान मूल्य						
	5.दंडात्मक निवल वर्तमान मूल्य						
	6. जलग्रहण क्षेत्र उपचार प्रभार						
	7.वन्यजीव संरक्षण योजना प्रभार						
	8.सुरक्षा जोन उपचार प्रभार						
	9.अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)						
<b>II.</b>	<b>काम्पा के 90% अंशदान में से एससीएएफ द्वारा किए गए व्यय की राशि (मूल धनराशि से कुल घटक-वार कार्य) (1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>						
	कुल घटक-वार मूल धनराशि कार्य						
	1.प्रतिपूरक वनीकरण						
	2.अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण						
	3.दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण						
	4.निवल वर्तमान मूल्य						
	5.दंडात्मक निवल वर्तमान मूल्य						
	6. जलग्रहण क्षेत्र उपचार प्रभार						
	7.वन्यजीव संरक्षण योजना प्रभार						
	8.सुरक्षा जोन उपचार प्रभार						
	9.अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)						
<b>III.</b>	<b>तदर्थ काम्पा से अंतरित ब्याज में से एससीएएफ द्वारा किया गया कुल व्यय</b>						
<b>IV</b> क.	<b>एससीएएफ द्वारा खर्च की गई राशि (उपचित ब्याज का60%)[1+2+3+4+5+6]</b>						
	1 प्रतिपूरक वनीकरण पर मुद्रास्फीति के कारण लागत में वृद्धि						
	2. जल ग्रहण क्षेत्र उपचार योजना पर मुद्रास्फीति के कारण लागत में वृद्धि						
	3 वन्यजीव प्रबंधन योजना पर मुद्रास्फीति के कारण लागत में वृद्धि						
	4.शुरू किए गए कार्यों की समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन						

	5. प्रचार-प्रसार और शैक्षिक स्कीम						
	6. संचालन समिति के अनुमोदन से कोई अन्य कार्यकलाप						
<b>IV</b> ख.	<b>एससीएफ द्वारा खर्च की गई राशि (उपचित ब्याज का 40%)</b>						
	<b>कुल प्रशासनिक व्यय (i+ii+iii+iv+v)</b>						
	i. कार्मिक सेवाएं और हितलाभ						
	ii. प्रशासनिक व्यय						
	iii. अन्य प्रशासनिक व्यय						
	iv. निगरानी और मूल्यांकन व्यय						
	v. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन जैसे अनावर्ती प्रबंधन व्यय						
<b>V.</b>	<b>सीएएफ के तहत एनसीएएफ को भुगतान की जाने वाली बकाया राशि (10 प्रतिशत अंशदान में से और एनसीएएफ अंशदान पर उपचित ब्याज अंतरित नहीं)</b>						

### घोषणा

उपरोक्त रिपोर्ट का सत्यापन कर लिया गया है और सही पाया गया है। इस रिपोर्ट को राज्य प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत किया गया है।

तिथि:

हस्ताक्षर  
सदस्य सचिव  
राज्य प्राधिकरण

### प्रपत्र-X

राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले अभिलेख और लेखा

[अधिनियम की धारा 27 (1) के तहत]

निम्नलिखित लेखा/अभिलेख अनुरक्षित किए जाएंगे:

1. रोकड़ बुक, लेजर, जर्नल, सार्वजनिक निधि लेखा रजिस्टर।
2. स्टॉक रजिस्टर, निर्धारित परिसंपत्ति रजिस्टर।
3. लेखा शीर्षों द्वारा व्यय दर्शाने वाले रजिस्टर।
4. लेखाओं का मासिक वित्तीय विवरण और वास्तविक परिणाम।
5. तिमाही मॉनिटरिंग रजिस्टर।
6. एससीएफ से एनसीएएफ के वार्षिक अंशदान का रजिस्टर (राज्यवार)।
7. अनुदानों/ऋणों आदि का रजिस्टर।
8. कार्य रजिस्टर जिसमें समस्त वास्तविक कार्यों और उनके लिए राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि से किए गए व्यय का अभिलेख रखा जाएगा।

## प्रपत्र-XI

31 मार्च ..... को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए राज्य प्राधिकरण का लेखा विवरण

[अधिनियम की धारा 28(2)(i) और (ii) के अंतर्गत]

(अन्य अनुदानों/ऋणों आदि के लिए पृथक प्रपत्र प्रस्तुत किए जाएं)

31 मार्च ..... की स्थिति अनुसार

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र.सं.	शीर्ष	एपीओ में यथा अनुमोदित वास्तविक आउटकम (इकाई में)	वर्ष के दौरान वास्तविक उपलब्धि (इकाई में)	आज की तारीख तक संचयी वास्तविक उपलब्धि (इकाई में)	वर्ष के दौरान बजट आबंटन (रूपए में)	खर्च की गई वास्तविक धनराशि (रूपए में)	आज की तारीख तक संचयी धनराशि (रूपए में)
1	स्कीम						
	1. प्रतिपूरक वनीकरण						
	2. अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण						
	3. दाण्डिक प्रतिपूरक वनीकरण						
	4. निवल वर्तमान मूल्य						
	5. दाण्डिक निवल वर्तमान मूल्य						
	6. आवाह क्षेत्र शोधन प्रभार						
	7. वनों का सुधार/सुरक्षा						
	8. प्रचार और शिक्षा						
	9. प्रशिक्षण						
	10. चल परिसंपत्तियां						
	i						
	ii						
	iii						
	11. अचल परिसंपत्तियां						
	i						
	ii						
	12. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
	i						
	ii						

		बजट आबंटन (रूपए में)	वर्ष के दौरान खर्च की गई वास्तविक धनराशि (रूपए में)	गत वर्ष के दौरान खर्च की गई वास्तविक धनराशि (रूपए में)	अभ्युक्ति
II क.	प्रशासनिक प्रभार*				
ख.	अन्य प्रशासनिक व्यय*				
ग.	अन्य*				
III	निगरानी और मूल्यांकन				
	क. वार्षिक लेखा परीक्षा				
	ख. सीएजी लेखा परीक्षा				
	ग. ई-ग्रीन वॉच आउटकम				
	घ. तृतीय पक्षकार निगरानी				

### घोषणा

उपरोक्त रिपोर्ट की जांच की गई और सही पाई गई है। रिपोर्ट को राज्य प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है।

दिनांक :

हस्ताक्षर

सदस्य सचिव

राज्य प्राधिकरण

**नोट :** II क\* प्रशासनिक प्रभार में शामिल हैं - कर्मचारियों का वेतन और मज़दूरी, वेतन और भत्ते, समयोपरि भत्ते, पेंशन संबंधी प्रभार, चिकित्सा उपचार, प्रशासनिक व्यय, घरेलू यात्रा, विदेश यात्रा, कार्यालय व्यय, बिजली और विद्युत, जल प्रभार, किराया, दरें और कर (संपत्ति कर सहित), पीओएल सहित स्टाफ कार की खरीद और रखरखाव।

II ख\* अन्य प्रशासनिक प्रभार में शामिल हैं - सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशाला आदि पर व्यय, प्रशिक्षण कार्यक्रम, विज्ञापन और प्रचार, लघु कार्य, व्यावसायिक सेवाएं, अन्य संविदात्मक सेवाएं।

III ग\* अन्य में शामिल हैं - कार्टेज और कैरेज़ इनवार्डस् (स्थिर परिसंपत्ति/गैर आवर्ती मदों की खरीद पर), मुद्रण और प्रकाशन (शैक्षणिक के अलावा), अंशदान व्यय (शैक्षणिक के अलावा), राष्ट्रीय प्राधिकरण की पूंजीगत संपत्ति के सृजन जैसे गैर आवर्ती प्रबंधन व्यय, कोई अन्य व्यय।

**प्रपत्र-XII****वार्षिक प्रचालन योजना****[आगामी वित्तीय वर्ष के लिए वर्तमान वर्ष की 31 दिसम्बर को प्रस्तुत किया जाए]****[प्रतिपूरक वनीकरण निधि नियम, 2018 का नियम 36]**

वार्षिक प्रचालन योजना तीन हिस्सों में तैयार की जाएगी -

1. संक्षिप्त इतिहास और विगत कार्य-निष्पादन,
2. स्थल विशिष्ट कार्यकलाप और
3. गैर-स्थल विशिष्ट कार्यकलापों के लिए अन्य ।

**क. भाग-1 : संक्षिप्त इतिहास और विगत कार्य-निष्पादन****एपीओ के भाग-1 में शामिल होगा**

1. राज्य में वन का संक्षिप्त वर्णन।
2. काम्पा और सीएएफ के अंतर्गत प्राप्त निधि से गत तीन वर्षों में राज्य में किए गए वानिकी और अन्य कार्यकलाप। सूचना, जिला/वन प्रभाग वार उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
3. अन्य स्कीमों के अंतर्गत प्राप्त निधि से गत तीन वर्षों में राज्य में किए गए वानिकी और अन्य कार्यकलाप।
4. वर्ष 1980 से राज्य के विभिन्न जिलों/वन प्रभागों में अपवर्तित कुल वन क्षेत्र का सारणीबद्ध प्रपत्र में वर्ष-वार ब्यौरा।
5. वर्ष 1980 से राज्य में किए गए कुल प्रतिपूरक वनीकरण का सारणीबद्ध प्रपत्र में वर्ष-वार ब्यौरा। सूचना, जिला/वन प्रभाग वार उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
6. राज्य में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न वानिकी स्कीमों।
7. राज्य में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत गत तीन वर्षों में किए गए कुल वनीकरण कार्य का सारणीबद्ध प्रपत्र में ब्यौरा।
8. राष्ट्रीय प्राधिकरण से प्राप्त तदर्थ काम्पा निधि और एससीएएफ से किए गए समुदाय विकास कार्यों का ब्यौरा। सूचना, जिला/वन प्रभाग वार उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
9. राज्य वन विभाग के निगरानी और मूल्यांकन स्कंध द्वारा किए गए निगरानी कार्य का संक्षिप्त वर्णन और सार।
10. राज्य में स्वतंत्र निगरानी (तृतीय पक्षकार निगरानी) द्वारा किए गए निगरानी कार्य का संक्षिप्त वर्णन और सार।
11. राज्य सरकार द्वारा राज्य स्कीमों के अंतर्गत वानिकी और आनुषंगिक कार्यकलापों के लिए विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत गत वर्ष में राज्य में बजटीय आवंटन का सारणीबद्ध प्रपत्र में ब्यौरा।
12. वार्षिक प्रचालन योजना (एपीओ) तैयार करने के लिए विचारार्थ कोई अन्य संगत एवं महत्वपूर्ण सूचना।
13. अनिवार्य प्रतिपूरक वनीकरण लागत से किए जाने वाले व्यय, निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) और ब्याज घटक का ब्यौरा अलग-अलग दिया जाए।

**ख. वार्षिक प्रचालन योजना के भाग-2 में स्थल विशिष्ट क्रियाकलापों का विवरण शामिल किया जाएगा**

1. नए प्रतिपूरक वनीकरण, आवाह क्षेत्र सुधार योजना के कार्यों तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त वन स्वीकृति में लगाई गई शर्तों के अनुसार किए जाने वाले वन्यजीव क्रियाकलापों का जिला/वन प्रभाग-वार विवरण। केवल उन्हीं जिलों का ब्यौरा दिया जाए जिनमें वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) का कार्य किया जाना है।

2. स्थान, भू-संदर्भित मानचित्र/भू-निर्देशांक (रोपण/पुनरुद्धार स्थल सहित अचल संपत्तियों के मामले में) अनुमानित लागत, प्रस्तावित कार्यान्वयन एजेंसी तथा राज्य निधि से निष्पादित किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रत्येक क्रियाकलाप के कार्यान्वयन की समयबद्धता का राज्यवार विवरण दिया जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए प्रतिपूरक वनीकरण कार्य, आवाह क्षेत्र सुधार योजना संबंधी कार्य, वन्यजीव प्रबंधन संबंधी क्रियाकलापों के रख-रखाव तथा अनुमानित लागत का (उसके आधार सहित) ब्यौरा।
4. प्रस्तावित कार्यान्वयन एजेंसी तथा राज्य निधि से निष्पादित किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रत्येक क्रियाकलाप के कार्यान्वयन की समय-सीमा का जिलावार विवरण उपलब्ध कराया जाए।

**ग. भाग-3 एनपीवी तथा ब्याज घटक से किए जाने वाले गैर-स्थल विशिष्ट क्रियाकलाप**

1. किए जाने वाले गैर-स्थल क्रियाकलापों का जिला-वार विवरण
2. स्थान, भू-संदर्भित मानचित्र/भू-निर्देशांक (रोपण/पुनरुद्धार स्थल सहित अचल संपत्तियों के मामले में) अनुमानित लागत, प्रस्तावित कार्यान्वयन एजेंसी तथा राज्य निधि से निष्पादित किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रत्येक क्रियाकलाप के कार्यान्वयन की समयबद्धता का राज्यवार विवरण दिया जाए।
3. तदर्थ काम्पा तथा एससीएएफ से प्राप्त निधि से सृजित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण, अनुमानित लागत, प्रस्तावित कार्यान्वयन एजेंसी तथा राज्य निधि से निष्पादित किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रत्येक क्रियाकलाप के कार्यान्वयन की समय-सीमा का जिला-वार विवरण उपलब्ध कराया जाए।

**घ. सामान्य**

1. एपीओ में मापनीय मात्रा में प्रत्येक अनुमेय क्रियाकलाप के वास्तविक लक्ष्य और इन क्रियाकलापों की अनुमानित लागत का उल्लेख किया जाएगा।
2. एपीओ में मापनीय परिणाम प्राप्त करने के लिए अपेक्षित अवधि सहित वास्तविक क्रियाकलापों के मापनीय परिणामों तथा प्रत्येक अनुमेय क्रियाकलाप के लक्ष्यों का उल्लेख किया जाएगा।
3. एपीओ में राज्य प्राधिकरण के सीईओ का इस आशय का एक प्रमाणपत्र लगाया जाएगा कि उसे विद्यमान नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है।

**स्पष्टीकरण:**

1. वार्षिक प्रचालन योजना में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:
  - (क) प्रतिपूरक वनीकरण, दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण, आवाह क्षेत्र सुधार योजना, वन्यजीव प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध व्यय और स्थल विशिष्ट क्रियाकलापों तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत दिए गए अनुमोदन में यथा विनिर्दिष्ट वनों और वन्यजीव क्षेत्रों की बहाली, विकास, सुरक्षा और रख-रखाव के लिए अन्य अनुमेय क्रियाकलापों के लिए विनिर्दिष्ट योजनाएं निर्धारित करना।
  - (ख) जिन भौगोलिक क्षेत्रों में प्रतिपूरक वनीकरण प्रस्तावित है, उनके विवरण सहित राज्य निधि के प्रतिपूरक वनीकरण घटक से किए जाने वाले व्यय की योजनाएं तथा राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने वाले इस तरह के अन्य कार्यों का विवरण।
  - (ग) राज्य निधि के निवल वर्तमान मूल्य घटक से किए जाने वाले व्यय की योजनाएं।
  - (घ) राज्य निधि के ब्याज घटक से किए जाने वाले व्यय के लिए योजनाएं।
  - (ङ) राज्य सरकार द्वारा राज्य स्कीमों के अंतर्गत वानिकी और अनुषंगी क्रियाकलापों के लिए विभिन्न उप-शीर्षों के तहत गत तीन वर्षों के दौरान किए गए बजटीय आबंटन का तालिका के रूप में विवरण।
2. अगले वित्त वर्ष के लिए राज्य प्राधिकरण से विधिवत अनुमोदित एपीओ को राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर से पहले राष्ट्रीय प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।
3. वार्षिक प्रचालन योजना दस्तावेज के विस्तृत माडल और डाटा संग्रह के लिए विभिन्न प्रपत्र राज्य प्राधिकरणों के परामर्श से राष्ट्रीय प्राधिकरण के सीईओ द्वारा तैयार किये जाएंगे।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**  
(FOREST CONSERVATION DIVISION)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th February, 2018

**G.S.R. 172(E).**—The following draft of certain rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 30 of the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (38 of 2016) is hereby published, as required under sub-section (1) of section 30 of the said Act for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft rules may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or Inspector General of Forest (Forest Conservation), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003. Such communication can also be sent through the e-mail address of the Ministry at igfc-mef@nic.in.

**Draft Rules**

**1. Short title, extent and commencement.—**

- (1) These rules may be called the Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018.
- (2) They shall extend to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.
- (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.—**In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) **“Act”** means the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016
- (b) **“annual plan of operation”** means the annual plan for physical activities and financial provisions approved by the National Authority or State Authority as the case may be, which describes milestones, conditions for success and explains how, a strategic annual plan will be put into operation during the financial year in given budgetary term, and containing inter alia, brief description, estimated cost, basis for cost estimation, agency identified for execution and time schedule of each activity to be executed from State Fund during a year;
- (c) **“assisted natural regeneration”** means a process by which forests are restocked by trees that develop from seeds which fall and germinate in situ by providing assistance in such process and planting seedlings wherever required;
- (d) **“artificial regeneration”** means a mechanism for establishing a new forest by planting seedlings or by direct seeding;
- (e) **“Forest Department”** means the Department of the State Government dealing with matters relating to conservation and management of forests and wildlife;
- (f) **“compensatory levies”** means mandatory deposits in Indian rupees to be made in the National Fund and State Fund as specified in the approval granted under the provisions of the Forest (Conservation) Act 1980 (69 of 1980) and the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972) and the rules made thereunder and all deposits in compliance of various court orders for diversion of forest land for non-forestry purposes which include the costs for the purpose of compensatory afforestation and penal compensatory afforestation, net present value of the forest land diverted, cost of wildlife management plan, cost of catchment area treatment plan and other similar costs;
- (g) **“committed activities”** means those activities which have to be undertaken from the National Fund and State Fund and which have been approved by the concerned authority under the Forest Conservation Act 1980 (69 of 1980) to be implemented as referred in the said approval such as compensatory afforestation, catchment area treatment plan wildlife management plan, etc.
- (h) **“community forest management plan”** means the annual plan for physical activities and financial provisions approved by the village community having control over the land and other natural resources and describes milestones, conditions for success and explains how, a strategic plan will be put into operation during the financial year in given budgetary term containing, inter alia, brief description, estimated cost, basis for cost estimation, agency identified for execution and time schedule of each activity to be executed from a State Fund during a year;



- (i) **“Divisional Forest Officer”** means a functional administrative head of the unit of establishment in the State to manage the forest division under his jurisdiction;
- (j) **“entry point activities”** means a set of works identified and executed as a part of community mobilisation process to get more and more participation of the community in the forest management;
- (k) **“financial year”** means year commencing on the 1<sup>st</sup> April in a calendar year and ending on the 31<sup>st</sup> March in subsequent calendar year;
- (l) **“frontline staffs”** means employees of State Forest Department upto the level of Forest Range who are in direct contact with the public;
- (m) **“Gram Sabha”** has the same meaning as assigned to it in clause (b) of article 243 of the constitution;
- (n) **“ministerial staffs”** means Government servant of a subordinate service whose duties are entirely clerical, and any other class of servant specifically defined as such by general or specific order of the Government;
- (o) **“nurseries and other planting stock production facilities”** means modern and state of art nurseries, seed production areas, seedling seed orchards, vegetative multiplication gardens and such other planting stock production facilities for the purpose of producing quality planting materials and seedlings for plantation;
- (p) **“permissible activities”** means those activities which can be executed with the National Fund and State Fund;
- (q) **“prohibited activities”** means those activities which cannot be executed with the National Fund and State Fund.
- (r) **“Range Officer”** means the functional administrative in-charge of the unit of establishment in the State to manage the forest range under his jurisdiction;
- (s) **“Rescue Centre”** means an establishment for the long-term care of animals specified in the Schedules to the Wild Life (Protection) Act, 1972 as defined in the Recognition of Zoo Rules, 2009;
- (t) **“section”** means section of the Act;
- (u) **“site specific activities”** means activities which have been approved by the concerned authority under the provisions of the Forest (Conservation) Act to be implemented on specified location referred to in the said approval such as compensatory afforestation, catchment area treatment plan, wildlife management plan, etc;
- (v) **“silvicultural operations”** means the activities and practice of controlling the establishment, growth, composition, health, and quality of forests to meet diverse needs and values;
- (w) **“soil and moisture conservation works”** means physical works undertaken for in situ conservation of soil and moisture;
- (x) **“third party monitoring”** means monitoring and evaluation of works executed national Fund and State Fund by the parties which are external to a project’s direct beneficiary chain and management structure having no conflict of interest on parameters of evaluation as determined by the Central Government over and above the baseline to assess whether desired social, environmental or other impacts are being achieved and undesirable impacts avoided;
- (y) **“Van Sanrakshan Samiti or Village Forest Committee”** means a committee constituted for joint forest management by the competent authority in the State;
- (z) **“working plan”** means the management plan of forest land prepared under “National Working Plan Code” made by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for sustainable management of forests and biodiversity in India;
- (aa) **“zoo and wildlife safari”** means an establishment as referred in the Recognition of Zoo Rules, 2009 made under the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972);
- (ab) words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Compensatory Afforestation Fund Act 2016 (38 of 2016), the Indian Forest Act 1927 (16 of 1927), Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972) Forest Conservation Act 1980 (69 of 1980) and the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.
3. **Management of the National Fund.**—The National fund shall be managed according to the provisions of Government Accounting Rule 1990 and the General Financial Rules, 2017 as applicable from time to time and in accordance with the accounting procedure prepared under section 7.
4. **Management of State Fund.**—The State Fund shall be managed according to provisions of the State Financial Rules or any such rules applicable from time to time in the State and in accordance with the accounting procedure notified by the State Government / Union Territory and as per the guidelines issued by the National authority.

**5. Manner of utilisation of net present value and penal net present value.—**

- (1) The monies received towards net present value and penal net present value deposited in State Fund shall be used in a manner prescribed in sub rule (2).
- (2) Eighty per cent of the net present value NPV shall, in a financial year, be used for following permissible activities for the forest and wildlife management in the State, namely:-
  - (a) assisted natural regeneration;
  - (b) artificial regeneration (by plantations);
  - (c) silvicultural operations in forests;
  - (d) protection of plantations and forests;
  - (e) pest and disease control in forest;
  - (f) forest fire prevention and control operations;
  - (g) soil and moisture conservation works in the forest;
  - (h) improvement of wildlife habitat as prescribed in the approved wildlife management plan/working plan;
  - (i) Relocation of villages from protected areas;
  - (j) planting and rejuvenation of forest cover on non-forest land falling in wildlife corridors;
  - (k) establishment, operation and maintenance of animal rescue centre, and veterinary treatment facilities for wild animals;
  - (l) supply of wood and other forest produce saving devices as specified by the National Authority from time to time;
- (3) Twenty per cent of the net present value shall in a financial year, shall be utilised for strengthening of the forest and wildlife related infrastructure, capacity building of the personnel of State Forest Departments and other associated agencies and organisations involved in utilisation of these monies, as prioritised by the State Government for execution in forest and non-forest areas and included in the Annual Plan of Operations for the financial year under consideration.
- (4) The permissible activities to be undertaken for the purpose of sub-rule (3) shall include the following, namely: -
  - (a) establishment, up-gradation and maintenance of modern nurseries and other planting stock production facilities with state of arts facilities for production of quality planting materials;
  - (b) purchase and maintenance of equipment or devices used for communication and information technology, survey, mapping and forest fire control for the purpose of protection of forest and wildlife;
  - (c) construction, up-gradation and maintenance of inspection paths, forest roads in forest area, fire lines, watch towers, check posts, timber depots;
  - (d) construction of residential and official buildings in forests for concerned staffs up to the rank of Range Officers deployed for protection of forest and wildlife;
  - (e) engagement of local people or labours to assist regular staff of State Forest Department for works for protection of forest and wildlife undertaken from State Fund;
  - (f) survey and mapping of forest areas for compensatory afforestation works, soil and moisture conservation, catchment area treatment and wildlife management for preparing annual plans to be executed from the State Fund;
  - (g) concurrent monitoring and evaluation of works including third party monitoring of works undertaken from State Fund.
  - (h) awareness for forestry and allied activities undertaken from the State Fund;
  - (i) entry point activities undertaken in forest fringe villages for execution of programmes to be undertaken from the State Fund;
  - (j) distribution of planting stock for promotion of trees outside forest on government lands promoted by State government;

Provided that in case the activities referred to in sub rules (2) and (4) are to be undertaken in the forest land under the administrative control of the Forest Department, then the said activities shall be carried out as per the working plan prepared under National Working plan Code and approved by competent authority;

Provided further that the said activities over forest land under the control of State Forest Department and being managed as per the working plan with participation of local people shall be taken up in consultation with the Gram Sabha or *Van Sanrakshan Samiti* or Village Forest Committee as the case may be, and shall

be in consonance with the provisions of the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) and the guidelines issued thereunder, wherever applicable;

Provided also that in case the said activities are to be undertaken in areas not covered by the approved working plan then they shall be taken up in consultation with concerned Gram Sabha or Van Sanrakshan Samiti or Village Forest Committee or any authority having jurisdiction over that area, as the case may be, and shall be in consonance with the provisions of the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 and guidelines issued thereunder, wherever applicable;

- (5) While preparing the annual plan of operation for activities under rule 5, priority shall be given to undertake identified activities in those villages which have been affected due to diversion of forest land.
- (6) The monies referred in sub rule (1) shall not be used for following activities, namely
- (a) payment of salary, travelling allowances, medical expenses, etc. to regular employees of the State Forest Department for implementing programmes in various forest divisions undertaken from the State Fund;
  - (b) undertaking foreign visits;
  - (c) payment for legal services for defending cases filed in Tribunals or Courts not related to the management of State Authority;
  - (d) purchase of vehicles or staff cars for officers and heavy vehicles and machines for the State Forest Department for implementing programmes in various forest divisions undertaken from the State Fund;
  - (e) construction of residential and official buildings for officers above Forest Range Officers of the State Forest Department for implementing programmes in various forest divisions undertaken from the State Fund;
  - (f) leasing, hiring and purchase of land for afforestation purposes
  - (g) purchase of furniture, office equipment, fixtures including air conditioners, and generator sets for residences and offices of the State Forest Department for implementing programmes in various forest divisions undertaken from the State Fund;
  - (h) mandatory afforestation as per the working plan in the forest in blanks created by commercial felling of trees for revenue generation undertaken under working plan prescription;
  - (i) undertaking forest and wildlife conservation and other activities undertaken under other schemes of the Government for the purpose of part financing the scheme for completing left over works or complementary works of such schemes.
  - (j) establishment, expansion and up-gradation of zoo and wildlife safari.
- 6. Utilization of interest accrued on deposits in State Fund.**—The monies received towards interest accrued on funds in the State Fund shall be used in a manner prescribed below.
- (a) sixty per cent of the interest accrued on the amount available in the State Fund shall be spent in a financial year for conservation and development of forest and wildlife shall be utilised for the following:
    - (i) to offset the incremental cost of compensatory afforestation and penal compensatory afforestation at the increased wage rates;
    - (ii) to offset the incremental cost of catchment area treatment plan at the increased wage rates;
    - (iii) to offset the incremental cost of wildlife management plan at the increased wage rates;
    - (iv) concurrent monitoring and evaluation of works done from the State Fund;
    - (v) publicity of schemes and works done from the State Fund;
    - (vi) any other activities with the prior approval of the steering committee of the State Authority.
  - (b) Forty per cent of the interest accrued on the amount available in the State Fund shall be spent for the non-recurring and recurring expenditure of the State Authority, with the approval of the steering committee of the said authority.
- 7. Appointment of Chief Executive Officer of National authority.**—The chief executive officer of the National authority shall be appointed on deputation basis for a period not exceeding five years.
- 8. Appointment of officers.**— the officers referred to in sub-section (4) of section 9 and the officers of the levels as referred to in sub-section (5) of that section shall be appointed on deputation basis from the Central Government, State Government or Union Territory.
- 9. Appointment of officials and staffs.**—The officials and staffs referred to in sub-section (5) of section 9 and clause (iv) of sub-section (1) of section 15 shall be appointed on contract basis or on deputation basis from the Central Government, State Government or Union Territory.

- 10. Pay and allowances of officers.**—The officers referred to in section 8 shall be entitled to such pay and allowances as are admissible to the equivalent officers of the Central Government of Group ‘A’.
- 11. Pay and allowances of officials and staffs.**—The officials and staffs referred to in rule 9 and appointed on deputation basis shall be entitled to such pay and allowances as are admissible to the equivalent officials and staffs of the Central Government of Group “B” or Group ‘C’ as the case may be.
- 12. Pay and allowances of officials and staffs appointed on contract.**—The officials and staffs referred to in rule 9 and appointed on contract basis shall be entitled to such pay and allowances as are specified in their contract.
- 13. Sitting fees and allowances of non-official members.**—(1) The non-official members of the Governing Body, Executive Committee and Monitoring Group of the National Authority, and Governing Body, Steering Committee and Executive Committee of the State Authority shall be paid such sitting fees and allowances, for attending the meetings and for any other work assigned to them, or may be specified in the order of their appointment.
- (2) The sitting fee and allowances to be paid to the non-official member to the sub rule (1) shall be paid from the interest referred to in clause (b) of rule 6.
- 14. Selection of non-official members of National Authority and State Authority.**—(1) Any Ministry of the Central Government, or State Government or Union territory Administration shall forward the names of the non-official members of the National Authority, to the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India, New Delhi.
- (2) The persons referred to in sub rule (1) shall be resident of India holding Bachelor or Master’s Degree from a recognised University or equivalent in related field having work experience of ten years in the related field in reputed Government or Non-Government Organisation, Research Institute or university:  
Provided that educational qualification and experience for the Scheduled caste and the Schedule Tribe nominee may be relaxed by the Central Government on recommendation of National Authority.
- (3) Any Department of the State Government, or District Administration of the State or Union Territory shall forward the names of the non-official members of the State Authority, to the Department of the State Government dealing with forests.
- (4) The persons referred to in sub rule (3) shall be resident of India holding Bachelor or Master’s Degree from a recognised University or equivalent in the related field having work experience of ten years in the related field in Government or Non-Government Organisation, Research Institute and University:  
Provided that the educational qualification and experience for the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe nominee may be relaxed by the State Government on the recommendation of State Authority.
- (5) The non-official members shall not be employee of the Government.
- 15. Selection Committee.**—(1) The Selection Committee to prepare the panel of eligible candidates for appointment of non-official members of the National Authority shall comprise of the following, namely:-
- (i) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India -Chairman;
  - (ii) One Secretary from any other Ministry of the Central Government to be nominated by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India - Member;
  - (iii) One Chief Secretary from the State Government to be nominated by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India -Member;
  - (iv) Director General of Forests and Special Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India -Member;
  - (v) Additional Director General of Forests (Forest Conservation), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India -Member;
  - (vi) Additional Director General of Forests (Wildlife), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India -Member;
  - (vii) Chief Executive Officer of the National Authority -Member Secretary.

(2) The Selection Committee to prepare the panel of eligible candidates for appointment of non-official members of the State Authority shall comprise of the following, namely:-

- |       |   |                   |
|-------|---|-------------------|
| (i)   | Chief Secretary of the State  | Chairman;         |
| (ii)  | Additional Chief Secretary or Principal Secretary in-charge of the Forest Department in the State                             | Member;           |
| (iii) | One Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary in the State Government nominated by the State Government. | Member;           |
| (iv)  | Principal Chief Conservator of Forests (Head of Forest Force)   | Member;           |
| (v)   | Chief Wildlife Warden   | Member;           |
| (vi)  | Head of the concerned Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change                               | Member;           |
| (vii) | Chief Executive Officer State Authority   | Member Secretary. |

**16. Meeting of the governing body, executive committee and monitoring group of the National Authority.—**

(1) The governing body of the National Authority shall meet at least once in six months on such date and place as may be decided by its Chairperson in consultation with the Member Secretary of the Governing Body to consider the issues listed in the agenda prepared by the Member-Secretary.

(2) The Executive Committee of the National Authority shall meet at least once in every three months on such date and place as may be decided by its Chairperson in consultation with the Member-secretary of the Executive Committee to consider the issues listed in the agenda prepared by the Member-secretary.

(3) The Monitoring Group of the National Authority shall meet at least once in three month on such date and place and agenda as may be decided by the Director General, Forest survey of India, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India.

**17. Notice of meeting.—**For any meeting of the Governing Body or Executive Committee or Monitoring Group five days clear notice shall be given to the members, excluding the day of the posting and day of the meeting:

Provided that in case of urgency, the Member-Secretary of the governing body or executive committee with the permission of the governing body or executive committee, as the case may be, shall call a meeting at a short notice:

Provided further that in case of urgency, Director General, Forest Survey of India, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India shall call a meeting of the monitoring group at a short notice.

**18. Quorum of meeting.—**(1) one third of the members including the Chairperson shall constitute the quorum at any meeting of the governing body or executive committee, as the case may be, and any fraction shall be rounded off to the next higher number.

(2) One third of the members of the monitoring group including the Director General, Forest Survey of India, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India shall constitute the quorum at any meeting of the monitoring group, and any fraction shall be rounded of the next higher number.

**19. Adjournment of the meeting.—**Where a quorum is not present within thirty minutes of the time notified for the commencement of the meeting, the same shall stand adjourned to the same day, time and place the following week, and the members present at the adjourned meeting shall form the quorum.

**20. Decision in meeting.—**The decisions in the meeting shall be by a simple majority of the members present and voting.

**21. Meeting to be chaired by Chairpersons, etc.—**Every meeting of the governing body shall be chaired by the Chairperson and in his absence, by the senior most officers present.

**22. Meetings of the Governing Body, Steering Committee and Executive Committee of the State Authority.—**

(1) The governing body of the State Authority shall meet at least once in six months on such date and place as may be decided by its Chairperson in consultation with the member secretary of the governing body to consider the issues listed in the agenda prepared by the Member-Secretary.

(2) The steering committee of the State Authority shall meet at least once in six months on such date and place as may be decided by its Chairperson in consultation with the Member-secretary of the steering committee to consider the issues listed in the agenda prepared by the Member-Secretary.

(3) The executive committee of the State Authority shall meet at least once in every three months on such date and place as may be decided by its Chairperson in consultation with the Member-secretary of the executive committee to consider the issues listed in the agenda prepared by the Member-secretary.

- 23. Notice of meeting.**—For any meeting of the governing body or steering committee or executive five days clear notice shall be given to the members, excluding the day of the posting and day of the meeting:
- Provided that in case of urgency, the Member-Secretary of the governing body or steering committee or executive committee with the permission of the governing body or steering committee or executive committee, as the case may be, shall call a meeting at a short notice:
- 24. Quorum of meeting.**—one third of the members including the Chairperson shall constitute the quorum at any meeting of the governing body or steering committee or executive committee, as the case may be, and any fraction shall be rounded off to the next higher number.
- 25. Adjournment of the meeting.**—Where a quorum is not present within thirty minutes of the time notified for the commencement of the meeting, the same shall stand adjourned to the same day, time and place the following week, and the members present at the adjourned meeting shall form the quorum.
- 26. Decision in meeting.**—The decisions in the meeting shall be by a simple majority of the members present and voting.
- 27. Meeting to be chaired by Chairpersons, etc.**—Every meeting of the governing body shall be chaired by the Chairperson and in his absence, by the senior most officers present.
- 28. Financial regulation and procedures of National Authority.**—The financial regulation and procedures, in particular the procedure for drawing up and implementing the budget of the National Authority shall be in accordance with the General Financial Rules 2017 and the orders issued by the Central Government from time to time in this regards.
- 29. Preparation of budget of National Authority.**—The National Authority shall prepare its budget for the next financial year showing the estimated receipts and expenditure of National authority in **Form-I** based on the annual plan of operation including various schemes of the National Authority prepared and approved by the governing body for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the National Authority and forward the same to the Central Government in each financial year by the **31<sup>st</sup> December**.
- 30. Maintenance of accounts and preparation of annual statement of accounts by National Authority.**—The Monthly statement of accounts for the receipt and payment and expenditure shall be prepared in **Form-II**, Annual statement of accounts of the National Authority shall be prepared in **Form-III**. The National authority shall maintain the records and accounts as referred in **Form-V**.
- 31. Annual reports.**—The annual report shall be prepared by National Authority giving brief description of all activities undertaken from National Fund with separate headings and compiled in separate chapters. The reports shall include summary of works undertaken and schemes prepared and approved in annual plan of operation. The Annual report shall include the statement in **Form-V**
- 32. Financial regulation and procedures of State Authority.**—The financial regulation and procedures, in particular the procedure for drawing up and implementing the budget of the State Authority shall be in accordance with the General Financial Rules 2017 and the orders issued by the Central Government and State Government from time to time in this regards.
- 33. Preparation of budget of State Authority.**—The State Authority shall prepare its budget for the next financial year showing the estimated receipts and expenditure of State Authority in **Form-VI** based on the annual plan of operation prepared and approved by the governing body for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the State Authority and forward the same to the State Government and Central Government in each financial year by the **31<sup>st</sup> December**.
- 34. Maintenance of accounts and preparation of annual statement of accounts by State Authority.**—The Monthly statement of accounts shall be prepared in **Form-VII**, Monthly Statement of State Authority on physical and financial achievements in **Form-VIII** and Annual statement of accounts of the State Authority shall be prepared in **Form-IX**. The State Authority shall maintain the records and accounts of State Authority as referred in **Form-X**.
- 35. Annual reports.**—The annual report shall be prepared by State Authority giving brief description of all activities undertaken from State Fund with separate headings and compiled in separate chapters. The reports shall include summary of works undertaken and schemes prepared and approved in annual plan of operation. The Annual report shall include the statement in **Form-XI**
- 36. The annual plan of operation of State.**—Authority shall be prepared in **Form-XII** and shall be submitted by the State Authority before 31<sup>st</sup> December of every year to the National authority for the next financial year.

[F. No. 11-100/2015-FC (Vol. III)]

DEEPAK KUMAR SINHA, Inspector General of Forest

**Form-I****Annual Budget proposal of National Authority for financial year \_\_\_\_\_**

[u/s 20(1) of the ACT]

1	2	3	4
S.No.	Description	Current Financial Year (in Rs.)	Last Financial Year(in Rs.)
1.	a. Opening Balance of funds received from Adhoc CAMPA as on 1st April		
	b. Opening Balance of amount received from State authorities as on 1 <sup>st</sup> April		
	c. Opening Balance of loans/grants etc. received as on 1 <sup>st</sup> April		
2.	Estimated Annual receipt of National Authority		
	(a) Receipt of Fund by National Authority from State Authorities		
	(b) Receipt of accrual of interest on National Fund		
	(c) Receipt of Grants/loans/others of National Authority		
	(d) Any Other Income		
3.	Total estimated funds available with National Authority (as on 1 <sup>st</sup> April)(1+2)		
4.(i)	Annual Expenditure of National Authority out of NCAF		
	a. Recurring Management Expenditure		
	i. Personnel services and benefits		
	ii. Administrative Expenses		
	iii. Other Administrative Expenses		
	iv. Any other expenditure		
	b. Non recurring Management Expenditure like Creation of Capital Asset		
	c. Expenditure on Ongoing Schemes		
	d. Expenditure on New Schemes		
	e. Monitoring & Evaluation Expenditure		
4. (ii)	Total estimated expenditure out of grants/loans etc.		
5. (i)	Estimated Gross Total Expenditure {4(i)+4(ii)}		
(ii)	Estimated payments to State Authorities out of funds received from Adhoc CAMPA.		
6.	Total closing balance with National Authority		
	a. Closing balance of funds received from Adhoc CAMPA		
	b. Closing balance out of receipt from State authorities		
	c. Closing balance of grants/loans etc.		

**Declaration**

The budget proposal as mentioned above has been approved and adopted by the National Authority.

Date:

Member Secy., National Authority

## Form-II

## Monthly Statement of Accounts of National Authority for the Receipt and Payment/Expenditure

Month \_\_\_\_\_ Financial year. \_\_\_\_\_

[u/s section 22(1) the ACT]

As on 31<sup>st</sup> March ---

1	2	3	4	5
S.No.	Head	Current Month (in rupees)	Last Month (in rupees)	Cumulative amount till this month (in rupees)
I.	Total Opening balance of NCAF (a+b+c+d)			
a.	Opening Balance of Principal Amount of NCAF out of 10% share of Adhoc CAMPA			
b.	Opening balance amount of 10% share received by NCAF from SCAF			
c.	Opening balance amount of interest accrued to NCAF			
d.	Opening balance amount of grants, Loans etc. unspent by National Authority			
II.	Opening balance amount of share of SCAFs, under Adhoc CAMPA still lying with NCAF (a+b)			
a.	Opening balance amount of 90% share of Adhoc CAMPA due to SCAFs, still lying with NCAF (Mention names of states)			
b.	Opening balance amount of Interest on 90% share of Adhoc CAMPA due to SCAFs, still lying with NCAF (Mention names of states)			
III.	Total Amount received by NCAF during the year (a+b)			
a.	Amount of interest accrued to NCAF			
i.	Amount of interest accrued to NCAF out of 10% share of Adhoc CAMPA and under CAFA			
ii.	Amount of interest accrued to NCAF out of 90% share of Adhoc CAMPA still not transferred by NCAF to SCAF			
b.	Amount of receipt by NCAF (Other than Adhoc Campa) (i + ii)			
i.	Receipt of funds from SCAFs (10% as share of NCAF)			
ii.	Amount of grants, Loans etc. received			
IV.	Amount of 10% share of NCAF collected by States under CAFA with interest thereon and not transferred to NCAF (Mention names of states)			
V.	Total payment by NCAF to SCAFs out of Adhoc CAMPA (a+b)			
a	Payments by NCAF to SCAF (Out of 90% of Adhoc CAMPA) (1+2+3+4+5+6+7+8+9)			
	1. Compensatory Afforestation			
	2. Additional Compensatory Afforestation			
	3. Penal Compensatory Afforestation			
	4. Net Present Value			
	5. Penal Net Present Value			
	6. Catchment Area Treatment Charges			
	7. Wildlife Conservation Plan Charges			
	8. Safety Zone Treatment Charges			
	9. Others (please specify)			
b	Payment by NCAF to SCAF out of interest accrued on Adhoc CAMPA			
IV.	Total Expenditure by National Authority during the year out of Principal and Interest amount (a+b)			
(a)	Administrative Expenditure (i+ii+iii+iv+v+vi)			
i.	Personnel services and benefits			
ii.	Administrative Expenses			
iii.	Other administrative expenses			
iv.	Monitoring & Evaluation Expenditure			
v.	Other administrative expenses			
vi.	Non recurring Management Expenditure like Creation of Capital Asset			
(b)	Expenditure on Schemes(i+ii+iii)			
i.	Expenditure on Ongoing Schemes			
ii.	Expenditure on New Schemes			
iii.	Others			
V.	Total Closing balance of NCAF(a+b+c+d+e+f)			
a.	Closing Balance of Principal Amount of NCAF (10% share of Adhoc CAMPA)			
b.	Closing balance amount of 10% share received by NCAF from SCAFs under CAFA			
c.	Closing balance amount of interest accrued to NCAF			
d.	Closing balance amount of grants, Loans etc. received by National Authority			
VI.	a. Closing balance amount of 90% share of Adhoc CAMPA due to SCAFs, still lying with NCAF (Mention names of states)			
b.	Closing balance amount of Interest on 90% share of Adhoc CAMPA due to SCAFs, still lying with NCAF (Mention names of states)			



## Form-III

Annual statement of Accounts of National Authority for Financial Year-----

[u/s 22(1) of the ACT]

As on 31<sup>st</sup> March \_\_\_\_\_

1	2	3	4
Sl. No.	Description	Current Financial Year (in Rs.)	Last Financial Year (in Rs.)
<b>I.</b>	<b>Total Opening balance of NCAF (a+b+c+d+e+f)</b>		
a.	Opening Balance of Principal Amount of NCAF (10% share of Adhoc CAMPA)		
b.	Opening balance amount of 10% share received by NCAF from SCAF under CAFA		
c.	Opening balance amount of interest received by NCAF (Both Adhoc CAMPA and CAF deposit)		
d.	Opening balance amount of grants, Loans etc. received by National Authority		
e.	Opening balance amount of 90% share of Adhoc CAMPA due to SCAFs, still lying with NCAF (Mention names of states)		
f.	Opening balance amount of Interest on 90% share of Adhoc CAMPA due to SCAFs, still lying with NCAF (Mention names of states)		
<b>II.</b>	<b>Total Opening balance of SCAFs (a+b+c+d)</b>		
a.	Opening bal. of Principal Amount Component wise of all states after expenditure (90% share of Adhoc CAMPA) (1+2+3+4+5+6+7+8+9)		
	1. Compensatory Afforestation		
	2. Additional Compensatory Afforestation		
	3. Penal Compensatory Afforestation		
	4. Net Present Value		
	5. Penal Net Present Value		
	6. Catchment Area Treatment Charges		
	7. Wildlife Conservation Plan Charges		
	8. Safety Zone Treatment Charges		
	9. Others (please specify)		
b.	Opening balance amount of interest received by SCAFs (both on Adhoc CAMPA and CAF deposit)		
c.	Opening balance amount of grants, Loans etc. received by State Authority		
d.	Opening balance amount of 10% share of NCAF collected under CAF by States and not transferred to NCAF		
<b>III.</b>	<b>Total Amount received by NCAF during the year (a+b)</b>		
a.	Amount of interest accrued to NCAF		
	i. Amount of interest accrued to NCAF out of 10% share of Adhoc CAMPA		
	ii. Amount of interest accrued to NCAF out of 90% share of Adhoc CAMPA still not transferred by NCAF to SCAF		
b.	Amount of receipt by NCAF (Other than Adhoc Campa) (i + ii)		
	i. Receipt of funds from SCAFs (10% as share of NCAF) under CAFA		
	ii. Amount of grants, Loans etc. received		
<b>IV.</b>	<b>Outstanding dues of NCAF, received by SCAF under CAFA</b>		
	i. Amount of 10% share of NCAF under CAFA collected by States and not transferred to NCAF (Mention names of states)		
	ii. Amount of interest accrued to SCAFs (on outstanding NCAF's 10% share not transferred to NCAF)		
<b>V.</b>	<b>Total Amount received by SCAFs during the year (a+b+c)</b>		
a.	Amount of interest accrued to SCAFs (on SCAFs deposits)		

<b>b.</b>	<b>Amount of received by SCAFs (Other than Adhoc Campa) (I + ii)</b>		
	<b>i. Receipt of funds by SCAFs (90% as share of SCAFs under CAFA)</b>		
	<b>ii. Amount of grants, Loans etc. received by SCAFs</b>		
<b>VI.</b>	<b>Total payment by NCAF to SCAFs out of Adhoc CAMPAs (a+b)</b>		
<b>a</b>	<b>Payments by NCAF to SCAF (Out of 90% of Adhoc CAMPAs) (1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>		
	1. Compensatory Afforestation		
	2. Additional Compensatory Afforestation		
	3. Penal Compensatory Afforestation		
	4. Net Present Value		
	5. Penal Net Present Value		
	6. Catchment Area Treatment Charges		
	7. Wildlife Conservation Plan Charges		
	8. Safety Zone Treatment Charges		
	9. Others (please specify)		
<b>b</b>	<b>Payment by NCAF to SCAF out of interest accrued of Adhoc CAMPAs</b>		
<b>VII.</b>	<b>Total Expenditure by National Authority during the year out of Principal and Interest amount (a+b)</b>		
<b>(a)</b>	<b>Administrative Expenditure (i+ii+iii+iv+v+vi)</b>		
	i. Personnel services and benefits		
	ii. Administrative Expenses		
	iii. Other administrative expenses		
	iv. Monitoring & Evaluation Expenditure		
	v. Other administrative expenses		
	vi. Non recurring Management Expenditure like Creation of Capital Asset		
<b>(b)</b>	<b>Expenditure on Schemes(i+ii+iii)</b>		
	i. Expenditure on Ongoing Schemes		
	ii. Expenditure on New Schemes		
	iii. Others		
<b>VIII.</b>	<b>Total Expenditure by SCAFs(a+b+c)</b>		
	<b>i. Total expenditure by SCAFs out of Adhoc CAMPAs</b>		
	<b>ii. Total expenditure by SCAFs under CAFA</b>		
	<b>iii. Total expenditure by SCAFs under CAFA</b>		
<b>V.</b>	<b>Total Closing balance of NCAF (a+b+c+d+e+f)</b>		
	<b>a. Closing Balance of Principal Amount of NCAF (10% share of Adhoc CAMPAs)</b>		
	<b>b. Closing balance amount of 10% share received by NCAF from SCAF under CAFA</b>		
	<b>c. Closing balance amount of interest received by NCAF</b>		
	<b>d. Closing balance amount of grants, Loans etc. received by National Authority</b>		
	<b>e. Closing balance amount of 90% share of Adhoc CAMPAs due to SCAFs, still lying with NCAF (Mention names of states) (1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>		
	1. Compensatory Afforestation		
	2. Additional Compensatory Afforestation		
	3. Penal Compensatory Afforestation		
	4. Net Present Value		
	5. Penal Net Present Value		
	6. Catchment Area Treatment Charges		
	7. Wildlife Conservation Plan Charges		
	8. Safety Zone Treatment Charges		
	9. Others (please specify)		
	<b>f. Closing balance amount of Interest on 90% share of Adhoc CAMPAs due to SCAFs, still lying with NCAF (Mention names of states)</b>		

<b>VI.</b>	<b>Total Closing balance of SCAFs (a+b+c+d)</b>		
	<b>a. Closing bal. of Principal Amount Component wise of all states after expenditure (90% share of Adhoc CAMPA) (1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>		
	<b>b. Closing balance amount of interest received by SCAFs (both on Adhoc CAMPA and under CAFA)</b>		
	<b>c. Closing balance of grants, Loans etc. received by State Authority</b>		
	<b>d. Closing balance amount of 10% share of NCAF collected by States under CAFA and not transferred to NCAF along with Interest</b>		
<b>VII.</b>	<b>Cumulative figure of NCAF's outstanding dues from states (Out of 10% share of NCAF collected by States under CAFA and not transferred to NCAF along with Interest)</b>		

**Declaration**

The above Report has been verified and found correct. The Report has been adopted by National Authority

Date:

Signature

Member Secy., National Authority.

**Form-IV**

**Records and Accounts to be maintained by the National Authority**

[ u/s 22 (1) of the ACT ]

The following accounts/records will be maintained:

1. Cash Book, Ledger, Journal, Public Fund Accounts Register
2. Stock Register, Fixed Asset Register.
3. Registers showing expenditure by Heads of Accounts.
4. Monthly financial statement of Accounts and physical outcomes
5. Quarterly Monitoring Register
6. Register for Annual Share of NCAF from the SCAF (State wise)
7. Register of Grants/Loans etc.

**Form-V**

**Statement of Accounts of National Authority for the financial year ending on 31<sup>st</sup> March, 20---**

[u/s 23(2)(i) & (ii) of the ACT ]

**(Separate Forms for other Grants/Loans etc. are to be submitted)**

**As on 31<sup>st</sup> March ---**

1	2	3	4	5	6	7	8
S.No.	Head	Physical outcome as approved in APO (in units)	Actual physical achievement during the year (in units)	Cumulative physical achievement till date. (in units)	Budget allocation during the year (in Rs.)	Actual amount spent (in Rs.)	Cumulative amount till date (in Rs.)
I	Schemes						
	a. Ongoing schemes						
	i.						
	ii.						
	iii.						
	iv.						
	v.						

	b. New Schemes					
	i.					
	ii.					
	iii.					
	iv.					
	v.					
	vi.					
	c. Others (specify)					
	i.					
	ii.					
	iii.					
	iv.					
		Budget Allocation(in Rs.)	Actual amount spent during the year(in Rs.)	Actual amount spent during last year(in Rs.)	Remarks	
II a.	Administrative Charges*					
b.	Other Administrative Expenses*					
c.	OtheRs.*					
III	Monitoring & Evaluation					
	a. Annual Audit					
	b. CAG Audit					
	c. E-green Watch Outcome					
	d. Third Party Monitoring					

#### Declaration

The above Report has been verified and found correct. The Report has been adopted by National Authority

Date:

Signature

Member Secretary, National Authority.

Notes: IIa \* Administrative charges include - Staff salary and wages, Pay & Allowances, Overtime Allowances, Pensionary charges, Medical Treatment, Administrative Expenses, Domestic Travel, Foreign Travel, Office Expenses, Electricity & Power, Water Charges, Rent, Rates & Taxes (including property tax), Purchase & Maintenance of Staff Car including POL.

IIb\* Other administrative charges include - Expenditure on conference, seminar, workshop. Etc. Training Programme, Advertisement & Publicity, Minor works, Professional Services, Other contractual Services.

IIc\* OtheRs. include Cartage & Carriage inwards (on purchase of fixed assets/non-recurring items), Printing & Publications (other than academic), Subscription Expenses (other than academic), Non recurring management expenditure like, creation of Capital Asset of National authority, any other expenditure.

#### Form-VI

Annual Budget proposal of State Authority for financial year \_\_\_\_\_

[u/s 25(1) of the ACT]

S.No.	Description	Current Financial Year (in Rs.)	Last Financial Year (in Rs.)
1.	a. Opening Balance of funds received from National Authority as on 1st April		
	b. Opening Balance of loans/grants etc. received as on 1 <sup>st</sup> April		
2.	Estimated Annual receipt of State Authority		
	(a) Receipt of Fund by State Authorities from User agencies		
	(b) Receipt of accrual of interest on State Fund		

	(c) Receipt of Grants/loans/others of State Authority		
	(d) Any Other Income		
3.	Total estimated funds available with State Authority (as on 1 <sup>st</sup> April)(1+2)		
4.(i)	Annual Expenditure of State Authority out of SCAF		
	Net Present Value		
	Recurring Management Expenditure		
	i. Personnel services and benefits		
	ii. Administrative Expenses		
	iii. Other Administrative Expenses		
	iv. Any other expenditure		
	a. Non recurring Management Expenditure like Creation of Capital Asset/		
	b. Afforestation and other permissible activities		
	c. Expenditure on Ongoing works		
	d. Expenditure on New works		
	e. Monitoring & Evaluation Expenditure		
4(ii)	Compensatory Afforestation works		
4(iii)	Catchment Area Treatment works		
4(iv)	Wildlife Management works		
4(v)	Other (specify)		
4(vi)	Interest :Works on permissible activities (specify)		
4. (vii)	Total estimated expenditure out of grants/loans etc.		
5. (i)	Estimated Gross Total Expenditure {4(i)+4(ii)+4(iii)+4(iv)+4(v)+4(vi)+4(vii)}		
(ii)	Estimated payments to National Authorities out of funds received from use agency.		
6.	Total closing balance with State Authority		
	a. Closing balance of funds received from National Authority		
	b. Closing balance out of receipt from User agencies		
	c. Closing balance of grants/loans etc.		

**Declaration**

The budget proposal as mentioned above has been approved and adopted by the State Authority.

Date:

Member Secy.  
State Authority

**Form-VII**

Monthly Account of State Authority for the Month \_\_\_\_\_

[u/s 27(1) of the Act]

I.	Total Opening balance of SCAFs (a+b+c+d)	Out of 90% share of SCAFs under Adhoc CAMPA	out of 90% share of SCAF under CAFA	Current Month (in rupees)	Last Month (in rupees)	Cumulative amount till this month (in rupees)
a.	Opening bal. of Principal Amount Component wise of all states (1+2+3+4+5+6+7+8+9)					
	1. Compensatory Afforestation					
	2. Additional Compensatory Afforestation					
	3. Penal Compensatory Afforestation					
	4. Net Present Value					
	5. Penal Net Present Value					
	6. Catchment Area Treatment Charges					

	7. Wildlife Conservation Plan Charges					
	8. Safety Zone Treatment Charges					
	9. Others (please specify)					
<b>b.</b>	<b>Opening balance amount of interest received by SCAFs (both on Adhoc CAMPAs and under CAFA)</b>					
<b>c.</b>	<b>Opening balance amount of grants, Loans etc. received by State Authority</b>					
<b>d.</b>	<b>Opening balance amount of 10% share of NCAF with interest on delay, collected by States under CAFA and not transferred to NCAF</b>					
<b>II.</b>	<b>Total Amount received by SCAFs during the year (a+b+c+d)</b>					
<b>a.</b>	<b>Amount of interest accrued to SCAFs (on SCAFs deposits under CAFA and on Adhoc CAMPAs transferred by NCAF)</b>					
<b>b.</b>	<b>Total Receipt by SCAFs under Adhoc CAMPAs and Under CAFA</b>	<b>Out of 90% share of SCAFs under Adhoc CAMPAs</b>	<b>out of 90% share of SCAFs under CAFA</b>			
	<b>Principal Amount Component wise of all states (1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>					
	1. Compensatory Afforestation					
	2. Additional Compensatory Afforestation					
	3. Penal Compensatory Afforestation					
	4. Net Present Value					
	5. Penal Net Present Value					
	6. Catchment Area Treatment Charges					
	7. Wildlife Conservation Plan Charges					
	8. Safety Zone Treatment Charges					
	9. Others (please specify)					
<b>c.</b>	<b>Amount of grants, Loans etc. received by SCAFs</b>					
<b>d.</b>	<b>Amount of interest on NCAF's 10% share under CAFA not transferred to NCAF</b>					
<b>III.</b>	<b>Total Expenditure by SCAF (a+b)</b>					
<b>a.</b>	<b>Total expenditure by SCAFs under Adhoc CAMPAs and Under CAFA</b>	<b>Out of 90% share of SCAFs under Adhoc CAMPAs</b>	<b>out of 90% share of SCAFs under CAFA</b>			
	<b>Principal Amount Component wise of all states (1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>					
	1. Compensatory Afforestation					
	2. Additional Compensatory Afforestation					
	3. Penal Compensatory Afforestation					
	4. Net Present Value					
	5. Penal Net Present Value					
	6. Catchment Area Treatment Charges					
	7. Wildlife Conservation Plan Charges					
	8. Safety Zone Treatment Charges					
	9. Others (please specify)					
<b>b.</b>	<b>Total Expenditure by SCAFs out of interest transferred from Adhoc CAMPAs and under CAFA</b>					
	<b>i. Amount Spent by SCAF (60% of Interest accrued) [1+2+3+4+5+6]</b>					
	<b>ii. Amount Spent by SCAF (40% of Interest accrued)</b>					
<b>IV.</b>	<b>Payment to NCAF</b>					
	<b>i. Out of Principal amount of 10% share NCAF under CAFA</b>					
	<b>ii. Out of Interest amount on delayed payment of NCAF share</b>					
<b>VI.</b>	<b>Total Closing balance of SCAFs (a+b+c+d)</b>					
	<b>a. Closing bal. Component wise of all SCAFs</b>	<b>Out of Adhoc CAMPAs</b>	<b>SCAF share under CAFA</b>			
	<b>Total Principal amount (1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>					

	1.Compensatory Afforestation					
	2. Additional Compensatory Afforestation					
	3. Penal Compensatory Afforestation					
	4.Net Present Value					
	5. Penal Net Present Value					
	6.Catchment Area Treatment Charges					
	7. Wildlife Conservation Plan Charges					
	8. Safety Zone Treatment Charges					
	9. Others (please specify)					
	<b>b. Closing balance amount of interest received by SCAFs (both on Adhoc CAMPA and under CAFA)</b>					
	<b>c. Closing balance amount of grants, Loans etc. received by State Authority</b>					
	<b>d. Closing balance amount of 10% share of NCAF under CAFA and interest collected by States on delayed payment to NCAF and not transferred to NCAF</b>					
<b>VII.</b>	<b>Cumulative figure of NCAF's Outstanding dues from states (Out of 10% share under CAFA and interest, collected by States on delay and not transferred to NCAF)</b>					

**Declaration**

The above Report has been verified and found correct. The Report has been adopted by State Authority.

Signature

Member Secy.

State Authority

Date

**Form-VIII**

**Monthly Statement of State Authority on Physical and Financial achievements by the State\_\_\_\_\_**

[u/s 27(1) of the Act]

Sl. No	Description	Physical outcome Target as approved in APO (in ha/trees)	Actual physical achievement during the year ((in ha/trees)	Cumulative achievement till date. (in units) (in ha/trees)	Current Month (in rupees)	Last Month (in rupees)	Cumulative amount till this month (in rupees)
<b>I.</b>	<b>Total Expenditure out of Adhoc CAMPA funds</b> [Total Component wise works from Principal Amount] <b>(1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>						
	1.Compensatory Afforestation						
	2.Additional Compensatory Afforestation						
	3.Penal Compensatory Afforestation						
	4.Net Present Value						
	5.Penal Net Present Value						
	6. Catchment Area Treatment Charges						
	7.Wildlife Conservation Plan Charges						
	8.Safety Zone Treatment Charges						
	9.Others (please specify)						

<b>II.</b>	<b>Amount of expenditure by SCAF out of 90% share of CAMPA</b> [Total Component wise works from Principal Amount] <b>(1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>						
	Total Component wise Principal Amount works						
	1.Compensatory Afforestation						
	2.Additional Compensatory Afforestation						
	3.Penal Compensatory Afforestation						
	4.Net Present Value						
	5.Penal Net Present Value						
	6. Catchment Area Treatment Charges						
	7.Wildlife Conservation Plan Charges						
	8.Safety Zone Treatment Charges						
	9.Others (please specify)						
<b>III.</b>	<b>Total Expenditure by SCAFs out of interest transferred from Adhoc CAMPA</b>						
<b>IVa.</b>	<b>Amount Spent by SCAF (60% of Interest accrued)[1+2+3+4+5+6]</b>						
	1. Incremental cost due to inflation on compensatory afforestation						
	2. Incremental cost due to inflation on catchment area treatment plan						
	3. Incremental cost due to inflation on wildlife management plan						
	4. Concurrent monitoring and evaluation of works undertaken						
	5. Publicity and educational schemes						
	6. Any other activities with approval of steering committee						
<b>IVb.</b>	<b>Amount Spent by SCAF (40% of Interest accrued)</b>						
	<b>Total Administrative Expenditure (i+ii+iii+iv+v)</b>						
	i. Personnel services and benefits						
	ii. Administrative Expenses						
	iii. Other administrative expenses						
	iv. Monitoring & Evaluation Expenditure						
	v. Non recurring Management Expenditure like Creation of Capital Asset						
<b>V.</b>	<b>Outstanding dues to be paid to NCAF under CAFA (Out of 10% share and accrued interest on the NCAF share not transferred)</b>						

#### Declaration

The above Report has been verified and found correct. The Report has been adopted by State Authority.

Date:

Signature  
Member Secy.  
State Authority



## Form-IX

Annual Statement of State Authority on Physical and Financial achievements by the State \_\_\_\_\_

[u/s 27(1) of the Act]

Sl.No	Description	Physical Target as approved in APO (in units)	Actual physical achievement during the year (in units)	Physical Target (others)	Physical Achievements (others)	Financial Target (in Rs)	Financial Achievement (in Rs)
<b>I.</b>	<b>Total Expenditure out of Adhoc CAMPA funds</b> [Total Component wise works from Principal Amount] <b>(1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>						
	1. Compensatory Afforestation						
	2. Additional Compensatory Afforestation						
	3. Penal Compensatory Afforestation						
	4. Net Present Value						
	5. Penal Net Present Value						
	6. Catchment Area Treatment Charges						
	7. Wildlife Conservation Plan Charges						
	8. Safety Zone Treatment Charges						
	9. Others (please specify)						
<b>II.</b>	<b>Amount of expenditure by SCAF out of 90% share of CAMPA</b> [Total Component wise works from Principal Amount] <b>(1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>						
	Total Component wise Principal Amount works						
	1. Compensatory Afforestation						
	2. Additional Compensatory Afforestation						
	3. Penal Compensatory Afforestation						
	4. Net Present Value						
	5. Penal Net Present Value						
	6. Catchment Area Treatment Charges						
	7. Wildlife Conservation Plan Charges						
	8. Safety Zone Treatment Charges						
	9. Others (please specify)						
<b>III.</b>	<b>Total Expenditure by SCAFs out of interest transferred from Adhoc CAMPA</b>						
<b>IVa.</b>	<b>Amount Spent by SCAF (60% of Interest accrued)[1+2+3+4+5+6]</b>						
	1. Incremental cost due to inflation on compensatory afforestation						
	2. Incremental cost due to inflation on catchment area treatment plan						
	3. Incremental cost due to inflation on wildlife management plan						

	4. Concurrent monitoring and evaluation of works undertaken						
	5. Publicity and educational schemes						
	6. Any other activities with approval of steering committee						
<b>IVb.</b>	<b>Amount Spent by SCAF (40% of Interest accrued)</b>						
	<b>Total Administrative Expenditure (i+ii+iii+iv+v)</b>						
	i. Personnel services and benefits						
	ii. Administrative Expenses						
	iii. Other administrative expenses						
	iv. Monitoring & Evaluation Expenditure						
	v. Non recurring Management Expenditure like Creation of Capital Asset						
<b>V.</b>	<b>Outstanding dues to be paid to NCAF under CAFA (Out of 10% share and accrued interest on the NCAF share not transferred)</b>						

#### Declaration

The above Report has been verified and found correct. The Report has been adopted by State Authority.

Date:

Signature  
Member Secy.  
State Authority

#### Form-X

#### Records and Accounts to be maintained by the State Authority [ u/s 27(1) of the ACT]

The following accounts/records will be maintained:

1. Cash Book, Ledger, Journal, Public Fund Accounts Register
2. Stock Register, Fixed Asset Register.
3. Registers showing expenditure by Heads of Accounts.
4. Monthly financial statement of Accounts and physical outcomes
5. Quarterly Monitoring Register
6. Register for Annual Share of NCAF from the SCAF (State wise)
7. Register of Grants/Loans etc.
8. Work register recording all physical works and corresponding expenditure carried out from State Compensatory Afforestation Fund.

#### Form-XI

#### Statement of Accounts of State Authority for the financial year ending on 31<sup>st</sup> March, \_\_\_\_ [u/s 28(2)(i) & (ii) of the ACT]

(Separate Forms for other Grants/Loans etc. are to be submitted)

As on 31<sup>st</sup> March \_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8
S.No.	Head	Physical outcome as approved in APO(in units)	Actual physical achievement during the year(in units)	Cumulative physical achievement till date. (in units)	Budget allocation during the year(in Rs.)	Actual amount spent(in Rs.)	Cumulative amount till date(in Rs.)
I	Schemes						
	1. Compensatory Afforestation						
	2. Additional Compensatory Afforestation						
	3. Penal Compensatory						

	Afforestation						
4.	Net Present Value						
5.	Penal Net Present Value						
6.	Catchment Area Treatment Charges						
7.	Improvement/protection of forest						
8.	Publicity and Education						
9.	Training						
10.	Movable assets						
	i						
	ii						
	iii						
11.	Immovable assets						
	i						
	ii						
12.	Other (specify)						
	i.						
	ii						

		Budget Allocation (in Rs.)	Actual amount spent during the year (in RS.)	Actual amount spent during last year (in Rs.)	Remarks
II a.	Administrative Charges*				
b.	Other Administrative Expenses*				
c.	Others*				
III	Monitoring & Evaluation				
	a. Annual Audit				
	b. CAG Audit				
	c. E-green Watch Outcome				
	d. Third Party Monitoring				

#### Declaration

The above Report has been verified and found correct. The Report has been adopted by State Authority.

Date:

Signature  
Member Secretary  
State Authority

**Notes: IIa** \* Administrative charges include - Staff salary and wages, Pay & Allowances, Overtime Allowances, Pensionary charges, Medical Treatment, Administrative Expenses, Domestic Travel, Foreign Travel, Office Expenses, Electricity & Power, Water Charges, Rent, Rates & Taxes (including property tax), Purchase & Maintenance of Staff Car including POL.

**IIb**\* Other administrative charges include - Expenditure on conference, seminar, workshop. Etc. Training Programme, Advertisement & Publicity, Minor works, Professional Services, Other contractual Services.

**IIIc**\* Others include Cartage & Carriage inwards (on purchase of fixed assets/non-recurring items), Printing & Publications (other than academic), Subscription Expenses (other than academic), Non recurring management expenditure like, creation of Capital Asset of National authority, any other expenditure.

**Form-XII****Annual Plan of Operation****[to be submitted by 31<sup>st</sup> December of current year for next financial year]****[Rule 36 of Compensatory Afforestation fund Rule 2018]**

The annual plan of operation shall be prepared in three parts-

1. Brief History and past performance,
2. site-specific activities and
3. the other for non-site specific activities;

**a. The part-1: Brief History and past performance****Part-1 of APO shall contain**

1. Brief description of forest in the state
2. Forestry and other activities carried out in the state in last three years from the fund received under CAMPA and CAF. The information should be provided district/ forest division wise
3. Forestry and other activities carried out in the state in last three years from the fund received under other schemes.
4. Year wise total forest area diverted in the various districts/ forest divisions of the state since 1980, in tabular form
5. Year wise total Compensatory afforestation carried out in the state since 1980, in tabular form. The information should be provided district/ forest division wise
6. Different forestry schemes being implemented in the state.
7. Total afforestation work done in last three years under various schemes being implemented in the state, in tabular form.
8. Details of the community development works done from *ad hoc* CAMPA fund and SCAF received from National Authority. The information should be provided district/ forest division wise
9. Brief description and abstract of the Monitoring work done by the Monitoring and Evaluation wing of the State Forest Department.
10. Brief description and abstract of the Monitoring work done by the independent monitor (Third Party Monitoring) in the state
11. Details in tabular form the budgetary allocation in the state in previous year under different sub-heads for forestry and ancillary activities under state schemes by the state government.
12. Any other important information for consideration relevant for preparing APO.
13. The details of expenditure to be undertaken from mandatory Compensatory afforestation cost, NPV and interest component should be provided separately.

**b. Part-2 of APO shall contain description of site-specific activities**

1. District/ forest division wise details of new compensatory afforestation, Catchment area treatment plan works, wildlife management activities to be done as per the conditions imposed under Forest Clearance granted by the Central Government under Forest Conservation Act 1980. Details of only those districts may be provided where the CA work has to be done during the current financial under consideration
2. Location, geo-referenced maps/geo-co-ordinates (in case of immovable assets including plantation/ regeneration site), estimated cost, proposed implementing agency and implementation schedule of each activity proposed to be executed from State Fund to be provided district wise.
3. Details of maintenance of Compensatory afforestation work, Catchment area treatment plan works, wildlife management activities done in previous years, estimated cost (along with basis thereof),
4. Proposed implementing agency and implementation schedule of each activity proposed to be executed from State Fund to be provided district wise.

**c. Part-3: Non site specific activities to be done from NPV and Interest component**

1. District wise details of non-site activities to be done.
2. Location, geo-referenced maps/geo-co-ordinates (in case of immovable assets), estimated cost (along with basis thereof), proposed implementing agency and implementation schedule of each activity proposed to be executed from State Fund to be provided district wise.
3. Details of maintenance of the assets created in past from fund received from *ad hoc* CAMPA and SCAF, estimated cost, proposed implementing agency and implementation schedule of each activity proposed to be executed from State Fund to be provided district wise.

**d. General**

1. APO shall contain the physical targets of each permissible activity in measurable quantity along with the estimated cost of such activities.
2. APO shall contain the measurable outcome of all physical activities and targets of each permissible activity along with the period required for achieving the measurable outcome.
3. APO shall contain a certificate from the CEO, State Authority to the effect that it has been prepared in accordance with the extant rules/guidelines;

**Explanations:**

1. The Annual Plan of Operation shall include the following:
  - a) specify plans for committed expenditure and site specific activities for compensatory afforestation, penal compensatory afforestation, catchment Area Treatment Plan, Wildlife Management Plan and other permissible activities for restoration, development, protection and maintenance of forest and wildlife areas as specified in the approval granted under Forest Conservation Act 1980.
  - b) Plans for expenditure from the compensatory afforestation component of the State Fund with details of the geographical area where compensatory afforestation is proposed and any other such particulars as may be prescribed by the National Authority.
  - c) Plans for expenditure from the Net Present Value component of the State Fund.
  - d) Plans for expenditure from the interest component of the State Fund.
  - e) All details in tabular form the budgetary allocation in previous three years under different sub-heads for forestry and ancillary activities under state schemes by the state government.
2. The APO duly approved by the State Authority shall be submitted by the State Authority before 31<sup>st</sup> December of every year to the National authority for the next financial year.
3. The detailed model of Annual Plan Operation document and various proforma for collection of data shall be developed by the CEO of the National Authority in consultation with the State Authorities.